खण्ड-295, अंक-8
शनिवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1894
(1 अप्रैल, 1972 ई0)

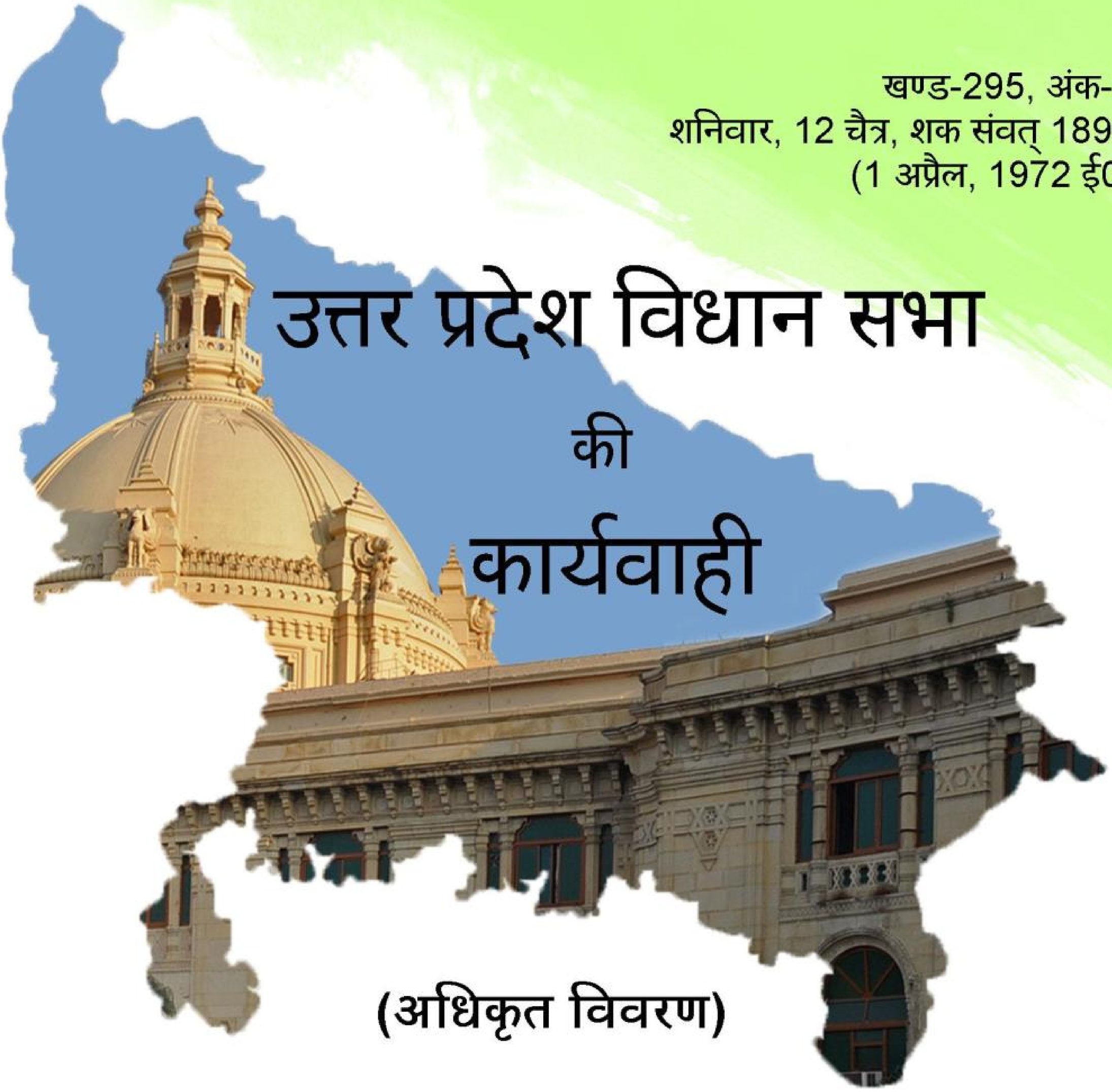

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	685–689
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 (पुरःस्थापित किया गया)	690
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	690
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—जारी)	690–719
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—जारी)	719–722
मोटर वोहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	722–729
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 (विचारोपरान्त पारित)	729–745
शेष विधेयकों पर विचार स्थगित करने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	745–749
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	749
नत्थी	750–758

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 1 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—408

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलून खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ मैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुष धारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)

राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री

शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह, बोरा श्री
हुकुमसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायतराज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 750 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन के लिये केवल एक नोटिस प्राप्त हुयी है । यह नोटिस सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, चन्द्रभान शर्मा, त्रिलोक चन्द्र, मनोहर लाल, श्रीकृष्ण बाजपेयी और सच्चिदानन्द ने मिलों से 25 फीसदी कंट्रोल रेट पर बिकने वाले कपड़े में मिल मालिकों द्वारा चोरबाजारी के संबंध में दी है । इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें । अस्वीकार किया गया ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972†

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, यह जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट प्रस्तुत किया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप प्रस्ताव रख दें ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

'पारित' नहीं 'पर विचार' किया जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव—

क्षमा करें, 'पर विचार' किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब जो चाहें कहें ।

---

†21 मार्च, 1972 की कार्यवाही में छपा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जो चाहें कैसे मान्यवर ? कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है ही । आप उनकी कितनी मदद करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रक्रिया संबंधी मैंने मदद की है।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसी के सिलसिले में 16 मार्च, 1972 को एक अध्यादेश जारी किया गया था । उसी अध्यादेश को कानून रूप देने के लिये आज यह विधेयक पेश किया गया है ।

मान्यवर, सड़क परिवहन दो भागों में विभक्त है । एक सार्वजनिक परिवहन से संबंधित है जिसमें कि जो माल होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिये ट्रकों को परमिट दिया जाता है । दूसरा भाग स्टेट कैरिज से संबंधित है जिसमें तीन प्रकार के परमिट दिये जाते हैं । (1) स्थायी परमिट दिया जाता है, (2) अस्थायी परमिट दिया जाता है जो एक टैम्परेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है, तथा (3) कांट्रेक्ट परमिट होते हैं जो एक पर्टीकुलर पार्टी को एक जगह से लेकर एक पार्टीकुलर जगह में उस पार्टी को छोड़ने का परमिट दिया जाता है और ऐसे परमिट होल्डर्स रास्ते में न तो उन सवारियों को उतार सकते हैं और न कोई सवारी ही बैठा सकते हैं । मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसकी मंशा स्टेट कैरिज परमिट देने की प्रथा में मौलिक परिवर्तन करना है । मान्यवर, बहुत समय से नाना प्रकार की शिकायतें मिलती थीं परमिट वितरण प्रणाली के सिलसिले में । भ्रष्टाचार की शिकायत भी मिलती थी तथा एकाधिकार की भी शिकायत मिलती थी । तो इन शिकायतों को दूर करने के लिये यह विधेयक इस ऐक्ट में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है ।

मान्यवर, पहले जो परमिट देने की प्रणाली थी वह इस प्रकार थी कि जो आर० टी० ए० कमेटी थी उसके सामने परमिट लेने वाले लोगों की दरख्वास्तें जाती थी और वह कमेटी उन पर विचार करती थी तथा विचार करने के बाद जिन लोगों को उपयुक्त समझती थी, परमिट देती थी स्टेट कैरिज के लिये । अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती थी या वह यह महसूस करते थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो उसकी अपील एस० टी० ए० या ट्रिबुनल में उसको अपील करने का अधिकार होता था ।

मान्यवर, यह अनुभव रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था से जो निहित स्वार्थ के लोग थे उनको तो फायदा होता था और अधिकांश रूट्स पर जनता की जो मांग रहती थी गाड़ियों की सेवा बढ़ाने के लिये उसको पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं हो पाती थी । कुछ कानून ऐसा था जिसकी वजह से उनको इस बात का मौका था कि एस० डी० ए० से स्टे ले सकते थे तथा कोर्ट से भी स्टे ले सकते थे लेकिन यह जो कानून में परिवर्तन किया जा रहा है आज उससे इस बात की व्यवस्था हो जायगी कि फ्री परमिट्स हो जायेंगे और जिस रूट पर जनता की अधिक मांग होगी उस रूट पर अधिक बसें चलाई जा सकेंगी । इन्हीं सारी बातों को दूर करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है । इस विधेयक के लिये केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति लेना आवश्यक था क्योंकि यह सेन्ट्रल ऐक्ट है, केंद्रीय सरकार की भी पूर्व सहमति प्राप्त हो गई है । मान्यवर, मोटर वैहेकिल्स ऐक्ट में परिवर्तन करने के लिये जो मैंने बताया है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। मुझको आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन लाया गया है उस पर मैंने एक संशोधन रखा है और मेरा संशोधन है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने के लिये 3 माह के लिये परिचालित किया जाय । श्रीमन्, यह कहने में मुझ हर्ष ही है और यह हमारा कर्त्तव्य ही है कि आज जो संशोधन लाया जा रहा है मोटर्स वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत वह एक अच्छा और उचित कदम है क्योंकि जब भी हम लोग जो कि मेम्बर्स रहे हैं, आर०टी०ए०, के अन्तर्गत, वे जानते हैं कि यह सर्वसाधारण जनता की भावना रही है कि जो परमिट्स दिये जाते हैं उसमें आम आदमी को हार्ट बर्निंग और दुख होता था । उसका कारण यह है कि एक परमिट के लिये पचासों आदमी प्रार्थना-पत्र दिया करते थे परन्तु वह एक ही व्यक्ति को मिलती थी । इस बात से मंत्री जी भी इंकार नहीं कर सकते कि परमिट्स के वितरण में आमतौर से शिकायत ही रही है कहीं-कहीं पर एक्सेप्शन्स हो सकते हैं परन्तु आमतौर से जनता ने इसकी शिकायत ही की है और यह कहा है कि परमिट्स का वितरण गलत हुआ । जो संविद की सरकार थी उसने भी इसी बात को या ध्यान में रखकर एक व्यवस्था की थी परमिट्स की संख्या को बढ़ा दिया जाय । वह इस लिये की थी कि एक किसी रूट पर एक या दो ही आदमियों का एकाधिकार न रहे और 8,10 आदमी अपनी गाड़ियों को उस रूट पर एप्लाई करें । संविद सरकार का यह कदम भी उसी दिशा में था कि किसी एक ही आदमी की मोनोपोली किसी रूट पर न रहे। अब वर्तमान शासन ने भी इसी दिशा में कदम उठाया है जो सराहनीय है । यह जो आप फ्री परमिट वाली बात कह रहे हैं यह कितना व्यावहारिक है इस पर विचार करना आवश्यक है । जो पूंजीपति हैं, रुपये वाले हैं वे पानी की तरह से पैसा बहाकर विभिन्न नामों से परमिट्स ले लिया करेंगे और उन्हीं की गाड़ियां उस रूट पर चला करेंगी लेकिन जो मध्यम वर्ग का आदमी है और जिसकी क्षमता भी ऐसी नहीं है कि आसानी से स्वयं ले सके उसके लिये कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । इसके अन्दर यह व्यवस्था और हो कि जो परमिट का वितरण हो वह आंख में पट्टी बांधकर नहीं होना चाहिये । सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि परमिट में धांधले बाजी बन्द हो जावेगी। 20,30 हजार रुपये एक परमिट के लिये रिश्वत दी जाती है वह खतम हो जावेगी । लेकिन क्या यह संभव है कि लोगों को परमिट के लिये खुली छूट हो जाय । अगर ऐसा हुआ तो वही लोग परमिट लेने आयेंगे जिनके 10,10 मोटर चल रहे हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसी ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास 25,25, 30,30 और 40,40 परमिट है । सारे क्षेत्रों में उनका एकाधिकार है । उनकी भाई भतीजों के नाम से और गाड़ियां खड़ी हो जावेंगी । इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि इसको जनता की राय जानने के लिये तीन माह के लिये परिचालित किया जाय । आर० टी०ए० की मीटिंग बहुत दिनों बाद हुआ करती है । आप तीन महीने तक जनता की राय लीजिये । आप कहते हैं कि हम जनता की राय से काम कर रहे हैं । आप जनता की आवाज उठाते हैं तो जनता के पास जाने में दिक्कत क्या है । इसको जनता की राय के लिये भेज दीजिये ।

आपके पास सुझाव आ सकता है कि सहकारी समितियों को विशेष प्रकार की सुविधायें दें और ऐसी संस्थाओं को जो सामाजिक संस्थायें हैं, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है उनको परमिट देने में प्राथमिकता दें । जिस परिवार के पास मोटरों के बहुत से परमिट हैं उनकी संख्या सीमित कर दी जाय । आप यह संख्या दो या तीन कर सकते हैं । लेकिन एक संख्या के आगे लोगों को परमिट नहीं मिलने चाहिये । उसके रिश्तेदारों को भी नहीं मिलने चाहिये और न बेनामी परमिट मिलने चाहिये । इस व्यवस्था को करने का प्रयत्न किया जाय। आप जिस दिशा में चल रहे हैं वह उचित है लेकिन उसके अन्दर ऐसा न हो कि आप उन लोगों के जाल में फंस जायं जो होशियार हैं, रुपये वाले हैं । वह लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी न किसी तरह से अपना काम निकाल लेते हैं । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में विदेशी शराब के नीलाम की बात कही थी लेकिन कल अखबार में आ गया कि वह समाप्त कर दी गयी । तो मैं कहना चाहता हूं कि जो रुपये वाले हैं और जिनके पास मोटर क परमिट 20,20 और 30,30 हैं वह सरकार को बाध्य न करें कि उन्हीं आदमियों को दुबारा परमिट मिलें । इसलिये मैंने संशोधन रक्खा है इस भावना का स्वागत करते हुए कि यह कमी दूर हो सके । जो कोई भी आवेगा उसको परमिट दे देंगे यह कहना खोखलापन का नारा है जैसा कि गरीबी हटाओ का नारा है और लोग समझ रहे हैं कि उससे गरीबी दूर हो जावेगी तो यह गलत है कि हर आदमी को परमिट मिल जायेगा । यह निश्चित रूप से जांच करके मिलने चाहिये जिससे जिनके पास परमिट हैं उनको और अधिक परमिट न मिल जायं । आप इन परमिटों से उन परिवारों की सहायता कर सकते हैं जिनके यहां के लोग लड़ाई में शहीद हुये हैं । इन परमिटों से हरिजनों का उद्धार कर सकते हैं और पिछड़े वर्ग की सहायता कर सकते हैं । आप ऐसे लोगों का उद्धार कीजिये जो सचमुच समाजसेवी हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिय कुछ किया है । श्रीमन्, इस संशोधन को लाना चाहते हैं, तो उसके लिये एक ही रास्ता है । मैं प्रवर समिति के लिये संशोधन दे सकता था । लेकिन प्रवर समिति में 4 आदमी मेज के ऊपर बैठकर उसी जगह पर आ जायेंगे जिस जगह पर आप बैठे हैं । मेरा निवेदन है कि इसको जनता में अनुभवी लोगों को भेजें । एक ड्राइवर 25/25 साल तक गाड़ी चलाता है । उसका काफी अनुभव होता है, इस क्षेत्र में । क्या उसको हक नहीं कि उसको परमिट मिल जायं । क्या अपंग को हक नहीं कि उसको परमिट मिले ? जब यह जनता क पास जायेगा और उससे सुझाव आयगे तो इस विधयक को सम्पूर्ण बना पायेंगे और सारे प्रदेश म इसका स्वागत होगा । इन्हीं शब्दों क साथ मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक-एक ल। एक साथ रख देंगे तो ठीक नहीं होगा ।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, आप एजेंडा देखें, उसमें मेरा नाम है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन पहले भी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा मैंन शुरू की तो उस समय भी मैंने मोटे तौर पर इस बात का स्वागत किया था कि सरकार ने एक अच्छा कदम इस दिशा में उठाने का प्रयास किया है । उस समय यह बिल सामने नहीं था । सिर्फ राज्यपाल महोदय का भाषण सामने था और आज यह बिल सामने है। श्रीमन्, जहां तक इस भावना का संबंध है कि जनता की कठिनाइयां दूर की जाय, इसमें किसी को कोई मतभेद का प्रश्न नहीं है । यह होना चाहिये और हम लोग इसका स्वागत करते ह । लकिन प्रवर समिति में भेजने का तात्पर्य क्या है । सरकार ने स्वयं इस बात को कबूल किया इसके पूर्व बड़ी कठिनाइयां थीं और उन कठिनाइयों को बहुत आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें केंद्रीय सरकार की अनुमति भी इस सरकार को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

प्राप्त करनी थी, सेंट्रल ऐक्ट होने के नाते और यह बहुत पुराना बना हुआ था । इसलिये इसमें यह संशोधन करने का प्रयास इस समय किया जा रहा है । मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने बताया कि राज्य में परिवहन के कितने प्रकार हैं । लेकिन इस समय एक विशेष विषय सामने है जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझता हूं और वह यह है कि आप यह कहते हैं कि मौलिक परिवर्तन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि मौलिक परिवर्तन में जो आपने उद्देश्य कारणों के बीच में बात कही, उसके उद्देश्य-कारण में क्या है ? मैं पूरा वाक्य उसमें से पढ़े दे रहा हूं:—

"अतः अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में सुविधा सरलता, अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये तथा इनमें समान वितरण करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 47,50,55,57 तथा 64 में आवश्यक संशोधन किया जाये।"

यह सरकार ने लिखा है 'उद्देश्य और कारणों' में इस बिल के । सुविधा प्रदान करना इसका प्रथम कर्त्तव्य है।

श्रीमन्, इस बिल के द्वारा जो नयी धारा 43–ए जो परिवहन प्राधिकरणों को निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में है, जोड़ी जा रही है इससे सारे अधिकार सरकार ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब सारे अधिकार आपने अपने हाथ में ले लिये हैं निर्देश आदि जारी करने के तो फिर आर० टी० ए० आदि के रखने की क्या आवश्यकता है । मान्यवर, शब्दों का जाल बनाने में यह सरकार बड़ी माहिर है तथा लोगों को भुलावे में रखने में भी यह सरकार बड़ी माहिर है । इस बात के लिये मैं सरकार की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता । आप देखें कि अब अपील में भी जाने का अधिकार खत्म कर दिया गया है । अब जो भी यह सरकार निर्देश देगी उसको अधिकारी लोग मानने के लिये बाध्य होंगे जिसका नतीजा यह होगा कि अब जितने भी परमिट दिये जायेंगे वे सरकार के ही निर्देश पर जारी होंगे । मैं कहता हूं कि जब सरकार की यही मंशा है तो इतना बड़ा बिल लाने की क्या आवश्यकता थी, केवल एक लाइन बढ़ा देते कि राज्य सरकार जिस को चाहेगी, परमिट देगी । बस इतना इसमें बढ़ा दत, शष सभी प्रतिबन्ध हटा देते ।

मान्यवर, परमिटों का भाव इस प्रदेश में जगह-जगह पर भिन्न-भिन्न और बड़ा तेज था । सरकार को इसकी पूरी सूचना होगी क्योंकि उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार था । जो भ्रष्टाचार दूसरे दूसरे स्थानों पर था अब मान्यवर, वह सरकार ने अपनी मुट्ठी में केंद्रित कर लिया है और इतनी खूबसूरती के साथ किया है । मुझे कोई शिकायत नहीं होती यदि सरकार यह कह देती कि दूसरी-दूसरी जगहों पर जो भष्टाचार फैला हुआ है उसे अब सरकार ने लखनऊ में ही अपनी मुट्ठी के अन्तर्गत कर लिय है । यदि सरकार इतना कह देती तो मुझे कोई एतराज न होता । बाहर भी जनता आखिर भागे जा रही है और यहां भी भागे जा रही है। ये सब काम ऐसे हैं, जिस पर लोग लालायित हो रहे हैं । हां, यह है । एक तो कारण यह है । हम लोगों का ख्याल है कि प्रवर समिति में यह विधेयक चला जाये तो इसमें कुछ संशोधन शायद मंत्री जी मान जायें । बहस-मुबाहसा के दौरान उनकी अपनी इच्छाओं के अनुरूप न रहने के बावजूद भी शायद वह लोकलाज वश मान जायें ।

श्रीमन्, आप देखें जितना भाषण मंत्री जी ने किया, उद्देश्य और कारणों में और बातों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने की बात कहीं नहीं कही । इस संबंध में यदि आपने एक भी शब्द सुना हो तो आप श्रीमन्, बता दें । गाड़ी चलगी तो चालक और परिचालक निर्विवाद रूप से रहेंगे । मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार

का इरादा क्या है । सरकार का इरादा निजी स्वामित्व को समाप्त करने का है या उसे बढ़ावा देने का है ? यह मामला बिलकुल सदा सर्वदा के लिये साफ हो जाना चाहिये । आपने एक निगम बनाया, यह किस मर्ज की दवा होगा ? निगम को जो सरकार की चिट्ठी गई है उसमें लिखा है चालक परिचालक या अन्य मामलों में सरकारी बसें दूसरी अप्रैल से उसी प्रकार मानी जायेंगी, मानो कोई वे निजी बसें हों । मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर जब आपने यह व्यवस्था की तो आपने इस बात की व्यवस्था करने में क्यों ढिलाई की कि राज्य परिवहन निगम सबसे पहले था इन परमिटों को प्राप्त करने के लिये । इसलिये उन्होंने यह रास्ता छोड़ दिया । मैं इसके कारण कैसे कहूं कि राज्य परिवहन को इन्होंने अपना सौतेला पूत समझा है लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं दो बच्चों में यह कुछ ज्यादा प्यारा मालूम पड़ता है निजी वाला । सार्वजनिक वाला जो है, सार्वजनिक कार्य करने वाला वह कुछ ज्यादा कमाऊ पूत नहीं मालूम पड़ता । सरकार का इरादा इस बात से साफ जाहिर होता है, सरकार न तो इस बिल में कहीं कोई बात कही, न तो सरकार ने अपनें भाषण में कोई बात कही ।

एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। फैजाबाद यदि आपको जाना हो तो लखनऊ से बाराबंकी तक तो राजकीय बस चलती है और आगे बाराबंकी से फैजाबाद तक प्राइवेट । और जहां तक मैं समझता हूं आज की तारीख में भी वह मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं हो सका है बावजूद सारी कोशिशों के । इसका कारण क्या है । श्रीमन्, आप देखें, जिस जिले से मैं आता हूं । शिक्षा मंत्री जी बैठे हुये हैं । पिछले जमाने में यह परिवहन मंत्री थे । मैंने एक सवाल किया था कि प्रदेश भर में किन-किन मार्गों का राष्ट्रीयकरण होनें वाला है । एक लम्बी सूची इस सदन की मेज पर रख दी गयी और मैंने भी पूछा जहां तक मुझे याद है, कि क्या अमुक-अमुक प्रकार के मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने वाली है तो सरकार कीं तरफ से उत्तर आया कि अतिशीघ्र । अगर मैं भूलता नहीं 1961 से लेकर आज तक कभी न कभी वह मामला चल जाता है अदालत में, किसी न किसी शक्ल में एक दरख्वास्त अदालत में पड़ जाय उसके बाद राष्ट्रीयकरण का मामला समाप्त ।

मैंने जो यह बात कही, कि इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार उस समिति को प्राप्त हो, इसका एक विशेष कारण है, मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि अगर राज्य परिवहन निगम की सेवा इस प्रदेश की सभी जनता को उपलब्ध कराना है, यह आपका उद्देश्य है तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीयकरण करने के सिलसिले में जो बात उपस्थित है, उसको दूर करने का पहले आप प्रयास कीजिये । आपने उन बाधाओं को दूर करने का सवाल नहीं पैदा किया । सवाल क्या पैदा किया ? जो अराष्ट्रीयकृत है उसके परमिट देने में केंद्रीयकरण को बात हो जाय । अब तक न्यायाधिकरण की शक्ल से काम करते थे अब सरकार का फैसला अंतिम । उद्देश्य क्या है इस सरकार के सामने ? जनता को आप क्या सुविधा देना चाहते हैं, कितना रोजगार मुहइया करना चाहते हैं । जिस तरह से यह सरकार समाजवाद जैसे पवित्र शब्द को बदनाम कर रही है, जनता में मजाक उड़ा करता है कि भाई तब तो समाजवाद है, जब किसी को व्यंग करना होता है तो कहता है कि यह समाजवाद है । यहां तक कि सामाजिक मामलों में वह व्यंग के रूप में स्थिति प्रचलित हो चुकी है जो कहने में बड़ी कठिनाई हो रही है। कारण क्या है ? जनहित के, लोकहित के सिद्धान्त का प्रयोग करके काम करना चाहते हैं यह सरकार हित का दल हित का। मैं आप से कहना चाहता हूं कि परमिटों की आवश्यकता क्यों है ? अगर रोडवेज बस के लिये कोई आदमी टिकट खरीदने जाय तो उसके लिये क्या कोई प्रतिबन्ध है कि मंत्री से, डी० एम० से, आर० टी० ए० से, स्टेशन इंचार्ज से पूछ कर लाइन में लगे ? सुविधा उस प्रकार की होनी चाहिये जिस प्रकार हमको जल मिलता है, हवा मिलती है, जिन्दा रहने का अधिकार मिलता है अगर समानान्तर लाने का उद्देश्य है तो आप ले आइये। यह समानान्तर किसके लिए। हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने मुहा कि बड़े-बड़े लोग अपनी परिमिटें ले जाकर लगा देते हैं। रोजगार आप किसको महइया

[श्री कल्पनाथ सिंह]

करना चाहते हैं। अगर आप का करों का इरादा है तो साफ-साफ लिखिये कि हम उन लोगों को परमिटों में प्राथमिकता देंगे जिनको रोजगार पाने के लिए सारे भारत में आवश्यकता होगी या कोई दूसरे कारण होंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक में सबसे पहले सरकार अपने उद्देश्य, कारण तथा विचारों में सफाई लाये और साफ-साफ कहे कि उसका उद्देश्य क्या है । दूसरे इस विधेयक से भ्रांति फैलने वाली है कि इससे सरकारीकरण होने जा रहा है, सरकार अंकुश लगाने जा रही है, यह खत्म होना चाहिये । तीसरे जो सुविधा सरलता, रोजगार और समाज वितरण की बात कही जाती है उसके आधार पर यह विधेयक निर्मित होना चाहिये और देखना चाहिये कि इस उद्देश्य और कारण की पूर्ति होती है या नहीं, इस विधेयक के जरिये ।

दूसरे जो राज्य परिवहन निगम बना है इस प्रदेश का उसके कार्य में कोई रुकावट नहीं पड़ना चाहिये या यों कहिये कि प्रदेश में जो अराष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनके राष्ट्रीयकरण की नीति इस विधेयक में प्रतिपादित की जायगी ताकि अधिक दिनों तक राष्ट्रीयकरण का मामला खटाई में न पड़ा रह जाय । आप देखेंगे कि पूर्व के जिलों में राष्ट्रीकृत मार्ग ज्यादा हैं बनिस्बत पश्चिम के जिलों के और आप अगर थोड़ी समानता लाना चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण से भी आपके लिये आवश्यक है कि आप इस सदन में इस गलतफहमी को दूर करें कि आप राष्ट्रीयकरण के काम में इस विधेयक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं, उसमें इस प्रकार का संशोधन क्यों नहीं लाना चाहते हैं ? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया यह समझने में मेरी मजबूरी है कि जैसे अन्य मामलों में सरकार ने तानाशाही का रवैया अख्तियार किया है उसी प्रकार इस विधयक के जरिये से यह सरकार प्रदेश की जनता को दो हिस्सों में बांटना चाहती है और उसको इस स्थिति में रखना चाहती है कि प्रदेश की जनता जो इस व्यापार में लगने वाली है वह उनकी नजर की प्रतीक्षा किया करे जैसे उपाध्यक्ष महोदय, आपकी निगाह पर इस सदन के सदस्यों की बात रहती है । आपको तो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात आपके पक्ष में नहीं जाती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपका स्थान और सरकार का स्थान एक सा है । आप निष्पक्ष हैं और इसके लिये आपने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और यह सरकार जो है उस पर रोज लांछन लगाये जाते हैं और यह प्रदेश की जनता को तबाह करती चली जा रही है वह यह दावा कैसे कर सकती है कि वह भी निष्पक्ष है । इसीलिये म कहना चाहता हूं कि आप अपना दृष्टिकोण बदलिये जनहित में और इस सदन को बतलाने का कष्ट करिये कि राष्ट्रीयकरण के लिहाज से आपका क्या दृष्टिकोण है । दूसरी तरफ जो राज्य परिवहन म प्राइवेट आपरेटर्स हैं उनको आप कौन-कौन-सी सुविधायें प्रदान करने जा रहे हैं अथवा आप जो समानता देने की बात करत हैं या जो रोजगार देने की बात करते हैं उस संबंध में आपका दृष्टिकोण क्या है । इसलिये जब तक इस दृष्टिकोण की सफाई नहीं होजाती है तब तक मैं समझता हूं कि बात अधूरी रह जाती है । इसीलिये मैं इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के पास भेजने का संशोधन आपके सम्मुख रखता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, माननीय परिवहन मन्त्री जी ने जो मोटर वेहिकिल (संशोधन) विधेयक प्रस्ततु किया है और उस पर जो संशोधन हमारे माननीय नित्यानन्द जी स्वामी तथा माननीय कल्पनाथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिंह जी ने रखा, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये कि यह विषय इतना पिट चुका इस प्रदेश की जनता और इस सदन में कि अब इसमें कोई संशोधन रखने की जरूरत नहीं है। जनता इस नतीजे पर पहुंची है कि अब इस परमिट सिस्टम को खत्म होना चाहिये। इस पूरे सदन की भी बार-बार यह मांग रही है कि परमिट सिस्टम खत्म हो....

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, सरकार से कहला दीजिये कि परमिट सिस्टम खत्म हो गया, मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

तो श्रीमन्, न तो इसे जनता में जाने की जरूरत है और न इस सदन की किसी प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है। जैसा कि देखा गया है कि यह परमिट सिस्टम किसी खास जरूरत के लिये खासतौर से बनवाया गया था जैसा कि राजनैतिक पीड़ितों और इस तरह के लोगों के लिये यह सुविधा दी गई थी जिससे कि उनका आर्थिक लाभ हो सके। किन्तु अब इस वक्त जो हालत हो गई कि इसका यह नतीजा निकला कि इन परमिटों के लिये नान-आफिसियल और आफिसियल कमेटियां बनाई गई और सारी चीजों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इन परमानेन्ट परमिटों से जो मुकदमेबाजी फैली कोंट्रैक्ट के ऊपर उसको रोका नहीं जा सका। कुछ इस प्रदेश के अन्दर वकील लोग ऐसे भी हैं जिनका यदि पिछले 15 सालों का रिकार्ड, हिसाब और हैसियत देखी जाय तो छोटे-छोटे जिलों के अन्दर जो मामूली से क्रिमिनल के वकील थे वे लखपती हो गये हैं और उनके पास कई-कई परमिट भी हो गये हैं। उनकी हैसियत आज कहां से कहां पहुंच गई इस लिटिगेशन की वजह से। तो यह जरूरी चीज हो गई कि इस लिटीगेशन को कैसे दूर किया जाय। इसके लिये यह सोचा गया कि परमिट सिस्टम को अबोलिश करके इस बात की सुविधा दी जाय कि अगर कोई भी शख्स अपनी वेहकिलि तैयार कर सकता है तो उसको उसे चलाने की इजाजत दे दी जाय। जो सरकार का टैक्स वगैरह आता है उसको वह दे और किसी नीलामी या सिफारिशों की शक्ल में किसी के पास जाने की जरूरत न पड़े। जो परमिटों का सिस्टम इस वक्त तक चल रहा है उसमें टेम्पोरेरी परमिट 10–15 मील के लिये दे दिया जाता है किन्तु लोग उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। उस 10–15 मील की दूरी को भी क्रोस कर लिया जाता है। एक छोटे से मार्ग में चलाने के लिये टेम्पोरेरी परमिट ले लिया परन्तु उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जाय। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद जिले में 10–15 मील के अन्दर चलाने का एक परमिट लिया गया किन्तु दूसरे ही मार्गों पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। कांट्रेक्ट सिस्टम पर जो परमिट मिलता है, उसके लिये दरखास्तें लिखी जाती हैं कि अमुक-अमुक के लड़के की बरात दिल्ली जा रही है और उसके लिये एक परमिट दे दिया जाय। इसके ऊपर तसदीक हो गई और तसदीक के बाद टेम्पोरेरी परमिट मिल गया। चूंकि उनके पास तो 10–15 मील तक का ही परमिट है इसलिये वे इस तरह से टेम्पोरेरी परमिट को लेकर 100–200 मील चला लेते हैं। इस प्रकार मुरादाबाद दिल्ली रोड पर कांट्रेक्ट बेसिक पर परमिट ले लिये जाते हैं उसका परिणाम यह होता है कि मुरादाबाद स्टेशन पर ये वेहिकिलें दिल्ली जाने के लिये खड़ी रहती हैं और सात-सात सौ रुपया एक-एक फेरी में लेते हैं। श्रीमन्, अगर आप बाहर जाकर देखें तो रोजाना रात को 5–6 गाड़ियां तथा प्राइवेट बसें जिनका मुरादाबाद जिले में चलाने का परमिट भी नहीं होगा, वह रामपुर या कहीं और छोटे से मार्ग का होगा, लेकिन खड़ी वहां मिलेंगी। उनके पास शादी के नाम से परमिट होगा और जायेंगे उनमें व्यापारी लोग जो मुरादाबाद से दिल्ली जाते हैं। वहां से एक्साइज ड्यूटी की चोरी करके कपड़ा, बिसातखाने का सामान लाते हैं और उसी में लौट कर आ जाते हैं। कई वारदातें मुरादाबाद और दिल्ली के बीच में गढ़ के पास में उन बसों के लूटने की हो गयीं और आप ताज्जुब करेंगे कि बस लुटने के बाद में उन ड्राइवर को, उस बस

[श्री रियासत हुसैन]

के मालिक को या उसमें चलने वालों को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वह थाने में रिपोर्ट लिखवायें कि हमारी बस लुट गई, इसलिये कि अगर रिपोर्ट होती है तो यह होगा कि कहां जा रहे हो, कौन सा तुम्हारा रूट है । तो यह उस सारे कांट्रेक्ट सिस्टम और परमिट सिस्टम पर चलाई जाती है और हालत यहां तक पहुंच गयी कि शादी के कार्ड छपे छपाये ले लिये और उसके अन्दर प्रोग्राम बना दिया कि फलां टाइम पर बरात रवाना होगी, फलां टाइम पर रुखसत होगी, 5 रुपया प्रेस वालों को दिया और छपवा लिया । फिर एक कार्ड लगा दिया कि यह मेरे लड़के की बरात जा रही है, जरा इसको वेरिफाई कर दीजिये और बड़े अफसोस की बात यह हो जाती है कि ए० आर० टी० ओ० और आर टी० ओ० अपनी सेफ साइड के लिये यह कह देते हैं जब कि शायद ऐसा कोई कांट्रेक्ट, ऐसा कोई आदेश, रूल या सरकार का जी० ओ० नहीं होगा, वह यह कह देते हैं कि इसको जब तक आप किसी एम० एल० ए० से वेरिफाई नहीं कराओगे तो हम कलक्टर के वेरिफिकेशन को भी नहीं मानेंगे, तहसीलदार, हाकिम परगना को भी नहीं मानेंगे ताकि एम० एल० ए० को रांग बसों के वेरिफिकेशन में फंसाने के लिये उनसे वेरिफाई कराया जाय । जब कोई ऐसा कायदा नहीं है, ऐसी हालत में यह सारी जो चीजें चलीं तो उन सारी चीजों के चलने से स्थिति एक्सट्रीम पर पहुंच गयी इस परमिट सिस्टम के करप्शन के कारण जिसकी वजह से प्रदेश के कोने-कोने में यह मांग हो गयी कि इस सिस्टम को अबालिश करो । ठेके नीलाम होने लगे, तारीख से पहले तय होने लगे वह खत्म हो और जिस मकसद को लेकर चले थे कि कोई परमिट पर चलाने वाला अगर खुद ड्राइवर है, उसे जानकारी है तो उसको परमिट मिलनी चाहिये, वह कुछ रुपया बैंक से ले ले और किसी दूसरी एजेंसी से लेकर अपने गुजारे के लिये बस ले ले । वह तो बेचारा ड्राइवर का ड्राइवर रह गया और जो आर० टी० ओ० तक पहुंचता है उसके हाथ तक परमिट पहुंच जायगा । इसलिये इसके खिलाफ पूरे हाऊस की एक तरफा ओपीनियन हो गयी कि इस सिस्टम को अबालिश किया जाय ।

चौधरी चरण सिंह के जमाने में जब वह मुख्य मन्त्री थे तो अपोजीशन की तरफ से मांग आयी थी कि इस परमिट सिस्टम को अबालिश किया जाय और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इसे खत्म कर दिया जाय लेकिन चूंकि यह सेन्ट्रल ऐक्ट है, हमारे परव्यू में नहीं आता है, हम इसको अबालिश नहीं कर सकते हैं, इसको लिबरल कर देंगे कि जो हमारी शर्तों को पूरा करे उसको बस का परमिट दे दिया जाय, यह जरूर कर देंगे । इसलिये आज इस संशोधन विधेयक के ऊपर किसी चर्चा की जरूरत नहीं थी, इसको तो बिला किसी चर्चा के, कांसेंसस आफ दि हाउस के साथ यूनैनिमसली, सर्वसम्पति से पास होना चाहिये । यह एक बात जरूर है कि थोड़ा उसमें इस बात का कन्ट्रोल आर० टी० ओ० का भी रहे कि गाड़ियों के टाइम टेबिल का जो रोटेशन हो रूट्स का उसमें ऐसी कोई न कोई बात की जाय जिससे अगर मजबूत हेकड़ आदमी हो तो ऐसा न हो कि अपनी बस अड़ा दे कि मेरी गाड़ी में ही पैसेन्जर बैठेंगे, दूसरी में नहीं बैठेंगे । इसलिये टाइम-टेबिल का रोटेशन जरूर हो जिससे जितनी भी मार्ग पर चलने वाली बसें हैं सब को बराबर का अवसर मिले । यह न हो कि कमजोर हो तो उसका नम्बर दिन भर न आये और जो हेकड़ हो वह दो-दो नम्बर दिन भर में मारता है । उसको कन्ट्रोल करने के लिये ध्यान दिया जाना चाहिये और जब रूल्स बनें तो इस तरह की व्यवस्था जरूर हो । श्रीमन्, सब लेटिंग का जब से मामला चला है तब से परमिट में बहुत ज्यादा करप्शन फैला है इसमें परमिट को एक तरह से प्रापरटी बना दिया है और इस तरह की रूलिंग्स कोर्टस ने दे दी हैं कि जिनके आधार पर उनको अधिकार मिल गया कि मेरे नाम से परमिट है । मैं घर बैठा हूं और मैंने रूट की कीमत देख कर सब लेट कर दिया । मेरी बस नहीं है । लेकिन परमिट इस आधार पर सब लेट कर दिया । उस दिन से बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया है । इसलिये इसके हटाये जाने की जरूरत थी तो सही समय पर सरकार इस विधेयक को लाई है ताकि जनता की जो भावना है कि परमिट सिस्टम खत्म हो और जो बस ले सके उसको इजाजत मिल जानी चाहिये । उसको रुपया कहां से मिलेगा यह बाद की चीज है । यह सच है कि जो गरीब है

उसको रुपया मिलना चाहिये । इसलिये मैं इस विधेयक का जो मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करता हूं ।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया इस बिल के उद्देश्य रखते समय कि इस विभाग में भ्रष्टाचार था, कुनबापरस्ती थी और बेइमानी थी, उसके लिये मैं बधाई देता हूं । इसमें तीन शब्द रखे गये हैं जो पिछले 2–3 वर्ष से हम और आप सुन रहे हैं कि बेरोजगारी हट जायगी । बड़ी चालाकी के साथ और अच्छे शब्दों में रखा गया कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है उन पर सुविधा के साथ, सरलता के साथ और रोजगार देने के लिये विधेयक में संशोधन किया जा रहा है । मुझे प्रसन्नता होती और इस आदरणीय सदन को भी अत्यंत प्रसन्नता होती यदि इसमें कुछ क्लाजेज लगाये जाते कि यह परमिट दिया जायगा सुविधा के अनुसार, परमिट का कुछ अंश 18 परसेन्ट 20 परसेंट हरिजनों के लिये, पिछड़े वर्ग के लिये और उन लोगों के लिये जो 20–25 वर्ष से ड्राइवरी करते हैं, उनके लिये भी होगा । इलाहाबाद में एक सज्जन हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता । उनके पास 250 बसेज के परमिटस हैं । उत्तर प्रदेश में बसेज चलाते हैं और करोड़पति हैं और जो भी सरकार आये, जो भी मन्त्री बने वह उनका खास आदमी रहता है । वह बड़े गर्व के साथ रोटेरी क्लब में, लाइन्स क्लब में घोषणा करते हैं । आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उनके पास छोटे-छोटे मार्गों के परमिट हैं लेकिन दिन रात राष्ट्रीयकृत मार्ग पर उनकी टैक्सी चलती हैं, मोटरें चलती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रतापगढ़ वालों का नाम बता दीजिये ।

श्री रामगोपाल संड—

आप नेशनल हैराल्ड और नवजीवन पढ़ लीजिये । वह कहता है कि श्री उमाशंकर दीक्षित उसके डायरेक्टर हैं । नेशनल हैराल्ड कोई हमारी पार्टी का अखबार नहीं है । आप उसको देख लें कितनी प्राइवेट बसेज चलती हैं और कितना भ्रष्टाचार आर० टी० ओ० के दफ्तर में है । विज्ञप्ति हमारे सिन्हा साहब ने दी है । जो आर० टी० ओ० हैं उनकी विज्ञप्ति है । मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप बेरोजगारी को हटाइये, पिछड़ेपन को हटाइये । माननीय रियासत हुसेन साहब ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अंग्रेजों ने बहुत नहरें बनवाई और उसको साधन सम्पन्न किया उसकी ओर इस सरकार की भी निगाह नहीं गई । जहां के मार्गों को राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिये था वहां पर प्राइवेट परमिट दिये गये । जैसा मैंने कहा इलाहाबाद में एक साहब 250 बसें चला रहे हैं और ठेले चला रहे हैं । अनेकों बसें रीवा मार्ग पर चल रही हैं । एक-एक आदमी के पास दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बसें हैं । उनकी बसें उनके नाम हैं, उनकी पत्नियों के नाम हैं, उनके पुत्रों के नाम और उनके भतीजों के नाम हैं । इतना ही नहीं, मोटर ड्राइवरों के नाम बसें हैं । अगर मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं उनके नामों की लिस्ट भी देदूंगा । उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया है कि बांदा-करवी-अत्तरी मार्ग को राष्ट्रीकृत मार्ग न बनाया जाए । आर० टी० ओ० इलाहाबाद के कार्यालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है ।

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाए । इसके अन्दर खंड लिखे जाने चाहिये थे कि जो परमिट दिया जायेगा वह पिछड़े वर्ग के लोगों को, मोटर चालकों को, उन लोगों को जो कि युद्ध में अपंग हो गये हैं और वीरगति प्राप्त हुए लोगों के आश्रितों को दिया जाएगा । अगर यह नहीं होगा तो फिर वही कुन्बापरस्ती, भ्रष्टाचार और पूर्वी उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम गोपाल सेठ]

और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भेदभाव रहेगा। भाई कल्पनाथ सिंह जी ने संशोधन रखा है। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं श्री बलराम सिंह यादव, परिवहन मन्त्री जी का भी इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप से पूर्व डा० रामजी लाल सहायक इस चेयर पर विराजमान थे। उन्होंने भी देखा होगा। हम जनता के बीच में काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में बसों और टैक्सियों का चालान क्यों नहीं किया जाता है? क्यों लाल साहब इस ओर ध्यान नहीं देते हैं? 1 लाख रुपये का नुक्सान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता को मिटाने के लिये सक्रिय कदम उठाएं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और शासन से यह उम्मीद करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करेगा। मुझे आशा है कि शासन प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजे जाने पर विचार करेगा। श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक कोई ऐसा विधेयक नहीं है जिसका समर्थन किया जाए। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि परमिटों की संख्या बढ़ा दी जाए और अधिक से अधिक लोगों को परमिट देने की इसमें गुंजाइश होनी चाहिये जो कि इसमें स्पष्ट नहीं है। विधेयक के पक्ष में यहां पर तकरीर की जाती है कि परमिटों की संख्या बढ़ाने के लिये विधेयक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब विधेयक कानून का रूप ले लेता है और नियम बन जाते हैं तब उस भावना के विपरीत आचरण होता है। जिस भावना को प्रोत्साहित कर समर्थन कराया जाता है। खाली तकरीर से इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। माननीय नेता सदन के अनुसार केवल वर्तमान सरकार समाजवाद लाने के लिये, कृत संकल्प है और उसका लक्ष्य यह है कि वह समाजवाद की ओर बढ़ना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। इस सरकार का समाजवादी आचरण तभी समझा जाएगा जबकि वह इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। मैं तो आशा करता था कि इसमें व्यवस्था होगी कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई परमिट नहीं दिया जाएगा बल्कि ड्राइवरों, क्लीनरों और कंडक्टरों की समितियों को ही नया परमिट दिया जाएगा। जैसा कि रियासत भाई ने कहा उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था की जाती हो। यदि समाजवादी आचरण का यह विधेयक होता तो मैं विरोधी पक्ष के साथियों से भी कहता कि इसका सहर्ष समर्थन कर इसको पारित कर दिया जाय। लेकिन मुझे दुख है कि इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल इतना ही है कि जो अधिकार आर० टी० ओ० को था, एस० टी० ए० को था, उस अधिकार का अपहरण या अतिक्रमण शासन करना चाहती है। शासन अपने हाथ में उस अधिकार को लेना चाहता है जो अधिकार आज तक एस० टी०-ए० या आर० टी० ओ० के पास था। यह बड़ी खतरनाक मनोवृत्ति है और यदि इस प्रकार की मनोवृत्ति को पनपने दिया गया तो यहां अधिनायकवाद का नग्न रूप खड़ा हो जायगा। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार करें।

हमारे बहुत से मित्रों ने कहा और मैं भी इस कमी का अनुभव करता हूं कि इसमें कोई व्यापक सुधार के लिये संशोधन आने चाहिये थे। हमारे जितने महत्वपूर्ण मार्ग हैं चाहे पश्चिमी जिलों में हों या पूर्वी जिलों में हैं, वे आज भी प्राइवेट आपरेटर्स के हाथ में हैं। नाना प्रकार के षड्यंत्र करके प्राइवेट आपरेटर्स उन मार्गों का राष्ट्रीकरण नहीं होने दे रहे हैं। इसमें ऐसा कोई संशोधन आना चाहिये था कि उन मार्गों के राष्ट्रीयकरण में जो रुकावटें हैं, न्यायालयों में जाकर रुकावटें डाली जाती हैं, उनको दूर किया जा सकता। उन रुकावटों को दूर करने

के लिये कोई क्रांतिकारी संशोधन इसमें आना चाहिये था। जिस प्रकार से संसद में सम्पत्ति अधिग्रहण के सम्बन्ध में व्यापक अधिकार लिया गया है उसी प्रकार से इस सदन में आप कोई चीज लाते जिससे राष्ट्रीयकृत मार्ग के कार्य कोई प्राइवेट आपरेटर अदालत में जाकर बाधा नहीं डाल सकता। रोडवेज का सिलसिला हमारे प्रदेश में बहुत व्यापक और पुराना है और इस बात के लिये उत्तर प्रदेश को गर्व प्राप्त था। लेकिन आज उसकी हालत दयनीय हो गयी है, वहां की व्यवस्था जजर हो गयी है। यही कारण है कि रोडवेज को घाटा हो रहा है रोड वेज के मार्ग पर, जैसा कि और भी साथियों ने कहा, प्राइवेट बसें चलती हैं, टैक्सियां चलती हैं और इसी वजह से रोडवेज की आमदनी गिर रही है।

प्रतापगढ़ की चर्चा की गयी। उसी के पड़ोस में सुल्तानपुर जनपद है। सुल्तानपुर से कादीपुर एक बस बिना नम्बर और परमिट के चलती है। इसकी शिकायत हुई। हमारे साथ एक दिन श्री बच्चा पाठक आ रहे थे। हम लोग टैक्सी से आ रहे थे। हमने कहा कि आज उस बगैर नम्बर की बस को पकड़ा जाय। हम सब थोड़ा आगे बढ़े तो रोडवेज की बस जा रही थी। उसमें 15 यात्री बैठे हुए थे। उसके एक मील आगे एक प्राइवेट बस दिखाई दी जिस पर कोई नम्बर प्लेट नहीं थी। वह खचाखच भरी हुई थी। दो तीन मील आगे जाकर उसको रुकवाया और पूछा कि किसकी बस है। उसमें से एक नौजवान उतरा। उसने कहा 'आप कौन हैं, आपको क्या अधिकार है पूछने का। एक सज्जन और उतर कर आये और उन्होंने कहा कि जानते नहीं हो यह मन्त्री जी की गाड़ी है। हमने कहा कि आज यह तय हो जाना चाहिये कि मन्त्री जी की हुकूमत में क्या उनकी गाड़ी राष्ट्रीकृत मार्गों पर चलेगी। वह नौजवान लड़ाई पर आमादा हो गया। मैं अभी अड़ गया कि जाने नहीं दूंगा। 15–20 आदमी और उतर आये। एक बुजुर्ग सज्जन जो खादी पहने हुए थे, उन्होंने अनुनय विनय किया, हाथ पैर जोड़ा। मैं सुल्तानपुर पहुंचा, कलेक्टर को फोन किया। एस० पी० को फोन किया, दोनों नदारद। डी० एस० पी० ने कहा कि मैं कोतवाल को कह रहा हूं। कोतवाल साहब पूजा पर बैठे थे। 5वीं बार जब फोन किया मिले। उन्होंने कहा कि दरोगा को भेज रहा हूं। एक सिपाही को भेजा गया। बस ने सारे पैसेन्जरों को उतार दिया और सुल्तानपुर आखिरी पेट्रोल पम्प से 8–10 आदमी कोतवाली पहुंचे। जो हजरत गाड़ी में मौजूद थे वे कोतवाली में मौजूद मिले। मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वह मन्त्री जी की गाड़ी तो नहीं थी लेकिन मन्त्री जी के नाम पर चलाई जाती थी। हो सकता है उनके किसी रिश्तेदार की हो। इस प्रकार नाम की धोंस देकर बहुत सी गाड़ियां चलायी जाती हैं।

ऐसी ही गाड़ियां सुल्तानपुर-अमेठी रोड पर भी चलती हैं एक ठाकुर और एक पंडित की गाड़ी है। कई बार रोडवेज के अधिकारियों का ध्यान इस ओर मैंने आकर्षित किया। पुराने रोडवेज कमिश्नर और वर्तमान कमिश्नर का ध्यान भी आकर्षित किया लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार से गाजीपुर से सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से अमेठी गाड़ियां नाजायज चलती हैं और सरकार का नुक्सान होता है। उनको शादी विवाह आदि के कान्ट्रेक्ट परमिट दे दिये जाते हैं और राष्ट्रीकृत मार्गों में नाजायज गाड़ियां चलायी जाती हैं। कान्ट्रेक्ट परमिट राष्ट्रीयकृत मार्गों पर क्यों दिये जाते हैं। आप इस प्रकार नियम बनाइये कि इन मार्गों पर कान्ट्रेक्ट परमिट नहीं दिये जायेंगे। इन मार्गों पर आप विशेष गाड़ियां चलाइये। इसमें बड़ा भारी गोलमाल किया जाता है, बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता है। रोडवेज के बस इन्चार्ज को 30 से 50 रुपया तक देना पड़ता है और डी० एम० के यहां 50–60 रुपया देना पड़ता है। इस प्रकार एक परमिट लेने पर 100–125 रुपया खर्च होता है। मैं चाहूंगा कि यह अधिकार जो आपने डी० एम० को दे रखे हैं, उनको वापस ले लिया जाय। आज के डी० एम० वे नहीं हैं जो 10–15 साल पहले थे। ऐसे-ऐसे डी0 एम0 हैं जो 10 किलो घी, 10 किलो चावल खाते हैं। हमारे यहां डी0 एम0 15 किलो आलू खाता है। अगर इस प्रकार से अधिकार डी० एम० को दिये जायेंगे तो उनका दुरुपयोग होगा। इन अधिकारों को वापस

[श्री मैनेजरसिंह]

ले लिया जाय। इन शब्दों के साथ माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसके पहले कि मैं विधेयक पर अपने विचार प्रकट करूं, मेरा आपसे एक निवेदन है। श्रीमान ने उस स्थान से एक व्यवस्था दी थी कि जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत होगा उसके साथ मूल अधिनियम लगाया जायगा। और अगर मूल अधिनियम अंग्रेजी में होगा तो उसका हिन्दी रूपान्तर होना चाहिये। यह अधिनियम अंग्रेजी में हैं, जिसका हिन्दी रूपान्तर मन्त्री जी ने प्रस्तुत नहीं किया है। और यही कारण है कि इन दिक्कतों के कारण कुछ साथी इस का समर्थन कर रहे हैं वर्ना कोई भी समाजवादी विचारधारा का आदमी जो चाहता है कि पूंजी का विकेन्द्रीकरण हो और धन बड़ी थैली से छोटी थैली में जाय वह इस बिल का समर्थन नहीं कर सकता। मुझे खेद है कि मन्त्री जी इन्दिरा जी का जप जपते हैं और समाजवाद समाजवाद चिल्लाते हैं और उनका सिद्धांत है कि उत्पादन पर प्रजा का अधिकार हो और जो स्वतंत्र व्यापार के हिमायती हैं और विरोधी बैंचों की हां में हां मिला कर जो चलते हैं उन को मालूम होना चाहिये कि जो समाजवाद के उसूल हैं वह लागू होने चाहिये। मैंने अखबार में पढ़ा कि सरकार सरकारी सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। हमने पूछा कि किन मार्गों का राष्ट्रीयकरण होगा तो मालूम हुआ कि प्रदेश में केवल 1 मार्ग का ही होगा तो उस से हमें शंका हुई कि मन्त्री जी के दिल में ऐसा कौन चोर बैठा है और वह चोर आज इस विधेयक की शक्ल में प्रकट हो गया है। हमारे कुछ साथी समझते हैं कि अब परमिट नहीं लेने पड़ेंगे। मूल ऐक्ट में धारा 47, 50, 55, 57 और 64 में संशोधन किये गये हैं। 47 में जो संशोधन किया जा रहा है उस की जो मूल धारा 47(1) की उपधारा जी० इ० एफ० को निकाला जा रहा है। और उन में दिये हुए परमिट सिस्टम को शिथिल करने की बात कही जा रही है। पहले परमिट देने वाला अधिकारी निर्देशों के अनुसार परमिट देता था। आपने इस में से सी० डी० इ० एफ० को समाप्त कर दिया है। सी० में यह था कि "The adequacy of other passenger transport services operating or likely to operate in the near future, whether by road or other means, between the places to be served."

यानी परमिट देते समय अधिकारी यह देखेगा कि अन्य ट्रांस्पोर्ट सर्विस जो चलने वाली हैं वह कैसी हैं। इसी प्रकार से इ० में था कि "The operation by the applicant of other transport services, including those in respect of which application from him for permits are pending."

और एफ० में था कि उस रूट और क्षेत्र में सड़कों की दशा कैसी है, इसका परमिट देने वाला अधिकारी ध्यान रखेगा और अब आप कहते हैं कि उसको सड़क की हालत या लम्बाई देखने की जरूरत नहीं है। आज मन्त्री जी के जमाने में तो और अधिक बस दुर्घटनायें हो रही हैं, अब जब सड़क की हालत देखे बिना कि वह कच्ची है या पक्की है परमिट दिये जायेंगे तो यह दुर्घटनायें और बढ़ेंगी कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यह कहने की हिम्मत कर सके कि इस प्रकार की व्यवस्था से यह बस दुर्घटनायें घटेंगी। श्रीमन्, अब से 50 में एक संशोधन कर रहे हैं, बीच में, और उनका संशोधन यह है कि—

"and shall also take into consideration any representation which may then be made or which may previously have been made by persons already holding contract carriage permits in the region or by any local authority or police authority in the region to the effect that the number of contract carriages for which permits have already been granted is sufficient for or in excess of the needs of the region or any area within the region".

जो विधेयक आया था यात्री गाड़ी ठेका और भारवाहन गाड़ी के लिये उनमें ठेका गाड़ियों का ध्यान रखा जाता था। जो आदमी ठेके गाड़ी के लिये प्रार्थना करता था उसके कार्य कलापों और उसके प्रार्थना-पत्र पर ध्यान रखा जाता था। अब कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। वह कैसे था। अब आप बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते हैं।

इसके बाद आप 55 निकाल दे रहे हैं। भारवाहन गाड़ियों में आप (सी) निकालेंगे जो इस प्रकार है:

"the adequacy of other goods services operating or likely to operate in the near future. whether by road or other means, between the places to be reserved.

जो रीजनल अधिकारी होगा वह 55 के अनुसार अन्य ऐसे माल भारक सेवाओं की पूर्णतया तथा भविष्य में इस प्रकार की सम्भावित सेवाओं का भी ध्यान रखेगा, चाहे वे सड़क द्वारा हों या अन्य साधनों द्वारा।

अब आप कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप (डी) निकालेंगे जो इस प्रकार है:

The operation by the applicant of the transport services, including those in respect of which applications from him for permits are pending.

आगे (एच०) में इस प्रकार था:

"the volume of traffic and the existence of marketing centres in the proposed area or along or near the proposed route.

श्री उपाध्यक्ष—

जो मूल अधिनियम है परिशिष्ट में उसके उद्धरण हैं। आपने स्वयं आपत्ति की है लेकिन आप स्वयं ही अंग्रेजी में इन्हें पढ़ रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

तो श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि ये कोई नई चीजें नहीं ला रहे है। जो पहले खंड थे वे ही हितकर थे। 57 में जो खंड हैं उनको भी ये हटा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आदमी परमिट देगा उसकी व्यवस्था ऊपर 3 और 4 में है। जो अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करेगा वह भार वाहनों की संख्या कितनी हो, मार्गों को सीमित कर सकता है या किसी विशेष मार्ग के लिये विशेष प्रकार की गाड़ी को चलाने के लिये व्यवस्था कर सकता है और आदेश दे सकता है अगर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की गाड़ी चलायी जायं। आज तक जो सारे प्रतिबन्ध लगे हुए थे कि जो बसगाड़ी लखनऊ में चले और जो पहाड़ों में चले, दोनों में बड़ा अन्तर हो गया है। पहाड़ों में चलने वाली गाड़ी को ऊंची नीची जमीन पर चलना पड़ता है। अब वे बिना सोचे समझे किसी को परमिट दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की यदि व्यवस्था होगी तो अराजकता होगी। कोई नई चीज अगर मन्त्री जी लाते तो हम उसका स्वागत करते। नई चीज है नहीं। जो पहले से समझ सोचकर बना हुआ था उसके कुछ खंडों को केवल आप निकाल रहे हैं। किस लिये निकाल रहे हैं क्या वजह है। आपकी कमेटी तो रहेगी ही। आर० टी० ए० तो रहेगा ही। उसको आप खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी-अभी परमिटें दी गई हैं। जैसा पहले होता था जिनके पास बसें नहीं रहतीं थीं उनको दी जाती थीं। अब तो उन्हीं को बसें दी गई हैं जिनके पास पहले से ही चार-चार बसों के परमिट मौजूद हैं। आप सोचें कि एक ही परिवार इस प्रकार परमिट लेता जायेगा तो क्या होगा। क्या छोटे-छोटे लोग जो कारबार करना चाहते हैं क्या वे इस प्रकार से अपना कारोबार कर सकेंगे। लोग चाहते हैं कि हम कुछ कारोबार करें। जो लोग पहले से ही महन्त बने हुए हैं उन्हीं को ये सुविधायें दी जा रही हैं। क्या उनके मुकाबिले जो गरीब आदमी हैं कभी उठ सकेगा। मान्यवर, मैं हैदराबाद गया था। सरकार ने वहां व्यवस्था की है

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

बेरोजगारी हटाने के लिये । वहां कामर्स, इन्जीनियर या टैक्नीशियन पास व्यक्तियों को रोजगार में सुविधा दी जाती है । अगर माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था किये होते कि हमारे यहां के नौनिहाल जो बेकार घूम रहे हैं 1 लाख 85 हजार पढ़े-लिख बेकार लोग, जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर उन नौजवानों को ही ये परमिट देने की सुविधा दी होती तो भी बात कुछ समझ में आ सकती थी । अगर इसमें प्रतिबन्ध एक से अधिक एक व्यक्ति या परिवार को न देन की होती, तो अच्छा होता । माननीय मन्त्री जी कल घोषणा कर रहे थे कि जमीन की सीलिंग होगी लेकिन सीलिंग करते क्यों नहीं हैं । इसी तरह यह होना चाहिये कि एक व्यक्ति को एक से अधिक परमिट नहीं दिया जायेगा । इस प्रकार यह मसला हल होगा । सरकार कहती है कि छोटी जातियों जैसे हरिजन, पिछड़े हुए वर्ग से उसकी हमदर्दी है लेकिन जो हरिजन हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं वे भी कुर्सियों पर बैठकर कैसे भूल जाते हैं, यह समझ में नहीं आता । उनको सोचना चाहिये कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग जो इस कारोबार से बिल्कुल वंचित हैं उनको प्राथमिकता देने के लिये कोई व्यवस्था हो । तब तो समझ में आता कि कुछ हमदर्दी आपको उन लोगों से है जिन्हें हजारों-हजारों वर्ष से मौका नहीं दिया गया है । मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं करता, नीयत उनकी साफ है लेकिन आप देख लें कि इस विधेयक से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सारा कारोबार इस प्रदेश के पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हो जायगा । हमारे जैसा आदमी नहीं चाहता है कि सम्पत्ति के अधिकारी मुट्ठी भर पूंजीपति हों । इसलिय मैं चाहता हूं कि जैसा कल्पनाथ जी ने प्रस्ताव किया है, इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां इस पर विचार किया जाय कि इस कारोबार को छोटे-छोटे आदमियों के हाथ में कैसे दिया जा सकता है वैसा इसमें संशोधन किया जाय और अगर ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है तो एक दूसरा विधेयक सदन में लाया जाय । इसलिये मैं चाहता हूं कि कल्पनाथ जी के संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राज मंगल पांडेय ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें । मेरा दामाद मोटर साइकिल से घायल हो चुका है और आजमगढ़ अस्पताल में है । मुझे वहां जाना है । मैं चाहता हूं कि पहले मुझे बुलवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले ही यह बता देते ।

*श्री राम बिलास पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक अपनी जगह पर स्पष्ट नहीं है कि यह बेरोजगारी दूर करेगा, भ्रष्टाचार दूर करेगा इसीलिये बाबू कल्पनाथ सिंह ने इसे प्रवर समिति में देने के लिये संशोधन रखा है जिसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक का समर्थन सरकारी पक्ष से रियासत साहब ने किया है । उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण का भी समर्थन किया था और शायद आने वाले और भी विधयकों पर वह बोलेंगे । उन्हें यह पता नहीं था कि परमिट दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया है इसलिये भ्रष्टाचार दूर हो जायगा । उन्होंने यह भी कहा कि छोटे-छोटे रूट्स पर 10–15 मील का परमिट दिया जाता है और ले जाते हैं दिल्ली तक और पैसा कमाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं भ्रष्टाचार होता है, गाड़ियां लूटी जाती हैं । यह भी तो नहीं विधेयक में कहीं संकेत है कि छोटे रूट पर गाड़ियां नहीं दी जायंगी या गाड़ियां लूटी नहीं जायंगी या शादी ब्याह में इस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा । जहां लूटे जाने की बात है आगरा से लखनऊ आने वाली ट्रेन लूट ली गयी । जहां तक लूटे जाने की बात है, रात हमारे 10 विधायक लूट लिय गये । तो यह सारी खामी सरकार की है । हम प्रोत्साहन दे रहे हैं । दिल्ली के बड़े से बड़े मंत्री यहां पर लाबी में बैठे हुये हैं । क्या जरूरत थी ? राज्य सभा के चुनाव थे । दस विधायक रात ही में क्यों छीन लिये गये ? नैतिकता का ह्रास यदि इस देश के ऊंचे लोग करेंगे तो आर०टी० ओ० से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या निगम जो बनने वाला है उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं । भ्रष्टाचार फिर होगा । समाजवाद आयेगा, मुझे तो विश्वास है ऐसा नहीं लगता । मान्यवर, वह परमिट आप देंगे क्या हो सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रहे, हो सकता है होम सेक्रेटरी रहे, हो सकता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हों। तो क्या आप उत्तर प्रदेश की 8–9 करोड़ जनता को आप परमिट दे पायेंगे, यह मुमकिन है ? क्या मुमकिन है कि सारे उत्तर प्रदेश के हरिजन लोगों को परमिट दे पायेंगे ? क्या इससे बेकारी दूर होगी ? आज इतने ट्रेंड ड्राइवर बेकार पड़े हुये हैं जिनको ड्राइवरी का लाइसेंस प्राप्त है, आज कितने ही ट्रेंड कंडक्टर बेकार हैं जो इस काम को कर सकते हैं । क्या आपने उनके बारे में इधर इशारा किया है कि बेकारी और बेरोजगारी दूर करने के लिये इस समाजवादी सरकार ने सारे ट्रेंड ड्राइवर और ट्रेंड कन्डक्टरों को परमिट देने की व्यवस्था की है ।

मान्यवर याद होगा, कल जब एक प्रश्न पूछा गया कि लड़ाई में अपंग हुये जवानों को या वीरगति पाये हुये जवानों की विधवाओं को देश की आजादी में काम आय स्वतंत्रता सेनानियों क परिवार को आप परमिट देंगे, तो कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है । हमने तो तय कर दिया है विधेयक में कि जो चाहें परमिट पा सकता है, किसी को रोक नहीं है । आपने इस विधेयक में यह भी संकेत नहीं किया कि ढाई सौ गाड़ी यदि किसी व्यक्ति की चल रही है उत्तर प्रदेश में तो उनकी दो चार गाड़ियों को छोड़कर उनके सारे परमिट बन्द कर दिये जायेंगे । आपने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है आज अगर चाहे तो एक एक आदमी एक-दो हजार गाड़ियां चला सकता है । तो क्या इससे भ्रष्टाचार दूर होगा । क्या यह सही नहीं है कि पैसे वाल परमिट पायेंग जिनक पास 30,40,60 और 80 हजार रुपये खर्च करने की क्षमता है । लेकिन एक गरीब ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी हरगिज नहीं खरीद सकता । और आप अगर बहुत मेहरबानी कर दी पोलिटिकल सफरर पर, तो हमें परमिट दे देंगे, बहुत मेहरबानी कर दी तो लड़ाई में शहीद हुये लोगों की विधवाओं को परमिट दे देंगे, तो याद रखिये वह परमिट वैसे ही खरीदे जायेंगे जैसे राज्य सभा की मेम्बरी के लिये बी०आर० मोहन ने खरीदे है । इससे समाजवाद आने वाला नहीं है । मान्यवर एक तड़पन होती है, दर्द होता है ।

मैं आज मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं कोई छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता । मान्यवर बहुत सारी घटनायें इस देश में घटित हो चुकी हैं और नानपालिटिकल लोग दिल्ली में बैठकर निर्देश देते हैं । तो क्या इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, क्या स्वाभिमान नहीं जागेगा जिसने 1920 से देश की आजादी के लिये कुरबानी दी है । जो दसियों बार जेल जा चुका है । इसलिये मैं साफ बता देना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय । केवल भावना में इस देश को बहाने की जरूरत नहीं है । प्रीवी पर्स, खत्म हो गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, लेकिन रिक्शा वाले को रिक्शा नहीं मिल सका । आजमगढ़ के विधायकों से पूछ लिया जाय, वहां रिक्शा वाले को रिक्शा नहीं मिला, टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी नहीं मिली । परमिट उन्हीं को मिला जो पैसे वाले हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप यह परमिट हरिजन गरीबों को नहीं दे सकेंगे और वह गरीब वही 40 रु० और 50 रु० महीना ही पायेगा । उससे कोई समस्या हल आप

[श्री राम बिलास पांडेय]

नहीं कर सकते । इसलिये अगर इस विधेयक को प्रवर समिति में आप भेज दें और गम्भीरता के साथ इस पर विचार करें कि किन लोगों को कहां तक परमिट्स को दिया जाय और किन सड़कों पर इनको चलाया जाय, साथ ही ज्यादा परमिटों क पाने वाले लोगों पर क्या अंकुश लगाया जाय, उनको कैसे रोका जाय तो अच्छा होगा ।

आपने आर० टी० ओ० की पावर्स छीन ली हैं, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा । आर० टी० ओ० तो रोज ही अगर किसी ने 6 से 8 सवारियां बैठा लीं तो उनका चालान कर सकता है । प्राइवेट गाड़ियां चलाने वाले लोग थानेदार और आर० टी० ओ० से परेशान हैं । अगर थानेदार की इच्छा नहीं है तो कोई भी बहाना बनाकर उसको हिरासत में ले सकता है और अगर आर० टी० ओ० की इच्छा से वह नहीं चल रही है तो वह उसका चालान करवा सकता है। उसको यह पावर्स हैं, अधिकार हैं । जब तक इनमें नैतिकता नहीं आयेगी हमारे आर० टी० ओ० और देश के कर्णधारों में तब तक किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता है । नैतिकता आनी चाहिये वह नहीं आ रही हैं । मैं किसी प्रकार के विवाद में न जाकर मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज बड़ी आसूदगी है । सरकार आज इतने बड़ बहुमत में है कि वह किसी भी विधेयक को पास कर सकती है और इसी कारण से उसमें मगरूरियत आ गई है । मैं पुन: यह निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें कि गरीबों के हित में यह एक बड़ा कदम नहीं हो सकता है । मैं एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बाढ़ और तूफान में बड़ा अन्तर है । बाढ़ फैलती है और लहर ऊपर को उठती है फैलती नहीं । गांधी जी के जमाने में एक बाढ़ आई थी जिसने गुलामी को बहा दिया । परन्तु आपकी यह एक नहर है जिसका वग क्षणिक है । आज इसी की उठती हुई लहर में नैतिकता का ह्रास करने के लिये चेष्टा की जा रही है । कोई भी इस प्रकार का काम जो भावावेश में किया जाय समाजवाद का कदम नहीं कहा जा सकता है । इन शब्दों के साथ मैं कल्पनाथ जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से कहूंगा कि वे भी इसको मान जायं।

*श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं । मुझे दुख है कि 25 वर्षों की आजादी के बाद भी विरोधी पक्ष के लोग यह महसूस करते हैं कि किसी विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसके बारे में कदम उठाये जाने चाहिये । मौजूदा सरकार नें जन हित में जो अच्छ से अच्छा विधयक हो सकता था उसको प्रस्तुत किया । आप उसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ें । इससे आप को स्पष्ट हो जायेगा । यहां पर बहुत बड़ी चर्चा का विषय इसको बनाया जा रहा है और कई तरह के प्रश्न उठाये जा रहे हैं । भ्रष्टाचार की बात तो पहले भी कही गई हैं और इस विधेयक के बारे म यह कहा जा रहा है । भ्रष्टाचार का नाम ले लें कर सरकार पर दोषारोपण किया जाता है । क्या कोई ऐसा भी विभाग है जिसमें कायदे और कानून नहीं हैं ? नियमों से सभी विभाग बंधे हैं । राम बिलास पांडेय जी ने कहा कि रोग है । वह किसी विशेष सरकार की वजह से पैदा नहीं हुआ है । इस सरकार ने अवश्य इस बात की चेष्टा की है कि इस प्रकार की चीजें दूर हों, आगे न पनप सकें । इस सरकार ने जो कदम उठाये हैं, कार्य किये हैं वे सराहनीय हैं । जनता का हित ही इस सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। लेकिन यह कहते हैं कि ऐसा नहीं है । वह जो भ्रष्ट तरीके विकेंद्रीकरण में फैले हुये थे उनको खत्म करके केंद्रीयकरण सरकार कर रही है इस संशोधन को लाकर, यह कहना अनुचित बात है । इस विधेयक के जरिये हमने जो लोग हजारों रुपया खर्च करते थे और नैतिकता के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी कष्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश की है । आज जिस चीज को खत्म करने के लिय विधयक लाये हैं तो जो शंकायें यहां उठाई गई हैं कि जिन लोगों के पास 10, 5 परमिट हैं, वही लोग और परमिट न ले लें, उसको दूर करने की कोशिश की जावेगी । मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि वह प्रतिबन्ध लगावें कि इन पर कैपिटलिस्ट लोग अपनी मोनोपली न कर लें । एक साल, पांच साल घाटा दिखाकर यह लोग पूंजी का केन्द्रीयकरण कर सकते हैं । छोटी श्रेणी के जो लोग बसें चला रहे ह उनको रास्तों से न हटा दें इसके लिये मुझे विश्वास है कि सरकार जब संशोधन ला रही है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है तो वह सरकार निश्चित रूप से जागरूक होगी कि नियमों में प्रतिबन्ध लगाये कि ऐसा न हो सके । यह विचार है कि मान्यवर जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी हम बेरोजगारी मिटाने के लिये यह कर रहे हैं । हमारे कल्पनाथ सिंह राय संशोधन लाये हैं और मैनेजर सिंह लाये हैं । मगर दोनों के संशोधनों में बड़ा अन्तर है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं पांडेय जी से कहूंगा कि मेरा सही नाम लिया करें ।

श्री राजमंगल पांडेय—

कल्पनाथ सिंह जी को राय शब्द से चिढ़ है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह अपने को तिवारी महसूस करने को तैयार हो जायं तो मुझे एतराज नहीं होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

तिवारी बड़े भाग्य से आदमी होता है।

श्री राजमंगल पांडेय—

इन दोनों संशोधनों में विरोधाभास है । मैनेजरसिंह जी का संशोधन है कि संविधान में परिवर्तन कर लिया जाय कि न्यायालय में जाने वाले जो लोग हैं उनका रास्ता बन्द कर दें । मान्यवर, यह ऐसी चीज है जो कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन के विपरीत होगी । हमें न्यायालय की सीमा खत्म नहीं करना चाहिये । हम गरीबों को रोजगार दे देना चाहते हैं । जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनके लिये रोजगार के साधन नहीं हैं, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं । तो जब सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने का कदम उठाया है, तो सरकार नियमों में बनते समय यह कोशिश करेगी कि इसका लाभ गरीबों, लैंडलेस, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मिले । वह लोग थोड़ी पूंजी से सरकार से सहायता लेकर इन मार्गों पर अपनी बसों को चला सके ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा बिल है कि जिसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं श्री नित्यानन्द स्वामी के संशोधन का भी समर्थन कर रहा हूं। श्री कल्पनाथ सिंह ने जो संशोधन रक्खा है उसका भी समर्थन मुझे करना पड़ रहा है । यह बहुत अच्छी बात है कि परमिट सिस्टम को खत्म करने की भावना से यह विधेयक लाया गया है लेकिन जो बात श्री नित्यानन्द स्वामी ने रक्खी है कि तीन महीने के लिये जनता में भेजा जाय और उसकी राय ली जाय, यह ठीक है । मैं समझता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

इसलिये इसके जो उद्देश्य कारण हैं, उसमें एक मौलिक प्रश्न छिपा हुआ है और वह यह है कि आपने केवल उन रास्तों के लिये परमिट की व्यवस्था की है जो अराष्ट्रीयकृत हैं। जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है, उनमें बस की परमिट नहीं देंगे। यह कितना बड़ा सवाल है जिसके ऊपर विचार होना चाहिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाले आज परेशान होते नहीं हैं। जो रोडवेज की दुर्व्यवस्था हुई है, उससे यात्री परेशान होकर आज यात्री चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि घोर अव्यवस्था है आज उसमें। गोंडा में 37 बसें है जिनमें से 17 बसें चलती हैं और 20 खराब हो चुकी हैं वहां आदमियों को चलने में कितनी अव्यवस्था होगी। इसलिये यात्रियों की यह भावना है कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उस पर परमिट हो, जैसा कि पंजाब में है, जैसा अन्य प्रान्तों में है। इसके आगे अब आप निगम की स्थापना करने जा रहे हैं और विभाग को उसमें झोंक देना चाहते हैं। ठीक है। आज ऐसी जनता की मांग है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, कोरम का भी ख्याल रखना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

तो आप निगम का निर्माण करने जा रहे हैं। वह प्रश्न विचार कर लेते कि क्या उन रास्तों पर परमिट दें जो राष्ट्रीयकृत हैं। आज हर जिलों में अराष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या बहुत कम है। पश्चिमी जिलों की बात मुझे नहीं मालूम। किन्तु वहां भी यही हालत है, जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने बताया। जिसमें आगे जाकर जो कठिनाइयां उपस्थित होंगी, उनको आपको फेस करना पड़ेगा। राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया है। उनके सामने सारी दरख्वास्तें जायेंगी। सामान्य रूप से कोई बस ऐसी नहीं जो जनता के हित में न चलाई जाती हो। जिसको परमिट नहीं मिलेगा, वह कोर्ट में जायेगा। वहां पर वह इसी ग्राउन्ड पर रद्द हो जायेगा। या ऐसे लोग जो सड़कों पर मोटर चला रहे हैं, दूसरों को परमिट प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। ये सारी कठिनाइयां हैं। इसमें जनहित का कोई सवाल नहीं है, जैसा कि रियासत हुसैन जी ने कहा है। इसलिये इसको जनता में भेजा जाय। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि जैसे ही हम इधर से उधर बैठ जाते ह, हमारी भाषा बदल जाती है। आज जनता की बात भाई रियासत हुसैन जी भूल गये हैं। लेकिन जनता आपके नारों को अच्छी तरह से समझ रही है। जनता आपके काले कारनामों को पहचान रही है। अगर आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो चुनाव में वह आपके नाम पर कभी मोहर नहीं लगायेगी।

इसमें दूसरी बात जो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह जो उद्देश्य और कारणों में दिया गया है कि जनता की सुविधाओं के लिये ऐसा किया जा रहा है, वह बात नहीं है। बात यह है कि जो घोर अव्यवस्था थी, उसमें कन्सेशन किया गया है। प्रदेश में जो चाहते थे कि उन्हें परमिट मिले, उनका ध्यान दिया गया है। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। यहां वास्तविकता यह है कि यात्रियों की सुविधा का ध्यान होना चाहिये। उद्देश्य और कारणों में इस विषय का खास ध्यान होना चाहिये था। लेकिन जो बजट भाषण में तिवारी जी ने कहा, उसमें एक वाक्य है, बसों पर यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए तत्संबंधी भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिये और नई बसों को चलाने के लिये परमिट व्यवस्था को उदार बनाने का निर्णय किया गया है। बसों में जो असुविधा होती है उस असुविधा

को ध्यान में रखकर सरकार को निर्णय लेना चाहिये । मगर यहां तो आपने दूस निर्णय ले लिया । आज देखा गया है कि जहां एक बस की जरूरत है वहां दो-दो तीन-तीन बसों के परमिट दे दिये गये हैं । आपने जो यह कंट्रोल लगा रखा है परमिटों पर, इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । एक बस 50 हजार से कम में नहीं आती, इसलिये छोटी पूंजी वाला आदमी, छोटा आदमी तो परमिट लेने की हिम्मत ही नहीं कर सकता और न ही उसे मिलता है । बड़े-बड़े आदमी या पहुंच वाले ही अपने नाम से, अपने नौकर के नाम से, अनेकों नामों से अनेक परमिट ले लिया करते हैं । फिर शादी आदि के नाम से परमिट ले लेते हैं और सवारियां ढोते हैं । फाल्स लिस्टें बन जाती हैं । गलत रिकमेन्डेशन्स हम लोग करते हैं । इसलिये अच्छा तो यह हो कि आप ऐसा कर दें कि जो भी परमिट चाहेगा उसे परमिट मिल जायेगा । आखिर एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने परमिटों के लिये छूट दे रखी है, दूसरी तरफ आपने कर दिया है कि जो प्रार्थना-पत्र देगा उस पर विचार किया जायेगा और विचार करने के बाद परमिट दिया जायेगा । तो उसमें फ्री परमिट देने की बात कहां रही । जिसकी पहुंच होगी मिनिस्टरों तक उसी की दरख्वास्त पर विचार किया जायेगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बिल को जनता के माध्यम से आने दें । माननीय नित्यानन्द स्वामी का संशोधन आप स्वीकार कर लें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वामी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये ।)

*श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी न जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस सरकार ने जो 4–5 प्रगतिशील कदम उठाये हैं उसमें एक कदम यह भी है जो वह इस विधेयक को आज यहां लायी है जिसकी आवश्यकता काफी समय से थी । जब संविद की हुकूमत थी उस वक्त, वे भाई जो आज इसका विरोध कर रहे हैं यही लोग उसकी वकालत कर रहे थे । अब तक जिन लोगों का होल्ड था, जिनकी इजारेदारी और सरमायादारी थी, जो 2–4 परमिट लेकर भाड़े पर चलाते थे और मौज किया करते थे एक तरह से इनकी इस विभाग में जमींदारी कायम हो गई है । उसको खत्म करने के लिये यह जो सरकार ने कदम उठाया है, यह जनहित में है और प्रगतिशील कदम है । इसमें जो इस प्रकार की शंका है कि छोटे आदमी नहीं पा सकेंगे, बड़े आदमी हावी हो जायेंगे, उनकी ठेकेदारी कायम हो जायेगी मैं समझता हूं बिलकुल ही बेबुनियाद है और भ्रमोत्पादक है । मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि टैक्सी की परमिटें फ्री हैं । आज से 10 साल पहले टैक्सी व्यवसाय चन्द बड़े लोगों के हाथों में था । लेकिन जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और बैंकों द्वारा यह शर्त लगा दी गई है कि जिन व्यक्तियों के पास तीन वर्ष पुराना ड्राइवरी लाइसेंस होगा, उनकी टैक्सी पर बैंक लोन देगा, तब से साधारण आदमी और मजदूर तबके के लोग ड्राइवर आदि टैक्सी मालिक बन गये हैं और इस तरह से उनका शोषण समाप्त हुआ है ।

मैं अपने क्षेत्र आजमगढ़ की बात बताना चाहता हूं वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो पहले ड्राइवर थे और पूंजीपतियों की नौकरी करते थे, अब मालिक बनकर स्वयं अपनी टैक्सी चला रहे हैं । इस तरह से ट्रक बिजनेस में भी चूंकि वहां परमिट की फ्री व्यवस्था है, वे ड्राइवर-मजदूर किस्म के लोग, स्वयं अपनी अपनी ट्रकें चला रहे हैं और उसका फायदा उन्हें ही मिल रहा है । वे उससे अपने बच्चों का बसर कर रहे हैं । यह जो विधेयक लाया गया है हर मांगने वाले को इससे परमिट मिलेगा । परमिट की वही दशा होगी जो टैक्सी में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जंगबहादुर सिंह]

है । आज जो लोग 5-5, 7–7 परमिटें अपने रिश्तदारों और नौकरों के नाम से लिये हैं और किराये पर बसें चला रहे हैं, ऐसे लोगों का इस विधेयक के द्वारा व्यवसाय खत्म हो जायेगा । जो लोग पहले परमिट नहीं पाते थे, घूस न दे सकने के कारण, आर० टी० ओ० और दूसरे अधिकारियों तक पहुंच न होने के कारण वे लोग भी अब जिनकी वास्तव में आवश्यकता होगी, परमिट पा सकेंगे और ऐसे ही लोग कम्पटीशन में ठहर सकेंगे और जो दूसरे लोग जो दूसरों से बसें चलवाते हैं इसमें पिछड़ जायेंगे । अब तक जो दूसरों की मजदूरी करते हैं, वे अब मालिक बनकर इसका लाभ उठा सकेंगे । इस विधेयक का लोगों को उत्कंठा से स्वागत करना चाहिये । मालूम पड़ता है कि वहां बैठने के बाद विरोधी सदस्यों की भावनायें बदल जाती हैं ।

कुछ लोग कह रहे थे अनैतिकता बहुत फैल रही है, लेकिन उस वातावरण से हम और आप दोनों पीड़ित हैं । यदि हम सब अपने आप में देखें और इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जायें तो यह अनैतिकता का वातावरण बदल सकता है । केवल सरकार ही नैतिकता नहीं ला सकती है, हमारे विरोधी दल के भाइयों का इसको रोकने में अधिक हाथ है, लेकिन वे अपने कर्त्तव्य की ओर न देखकर केवल सरकार की आलोचना किया करते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये । सरकार के अच्छे कामों की तारीफ तो की ही जानी चाहिये । अभी बिजली विभाग के संबंध में हमारी सरकार ने मिनिमम गारंटी की शर्त को खत्म किया है । लेकिन ऐसी अच्छी बात को भी विरोधी लोगों ने समर्थन नहीं किया है । यह हमारे लिये दुख की बात है । इसीलिये भ्रम फैल जाता है कि विरोधियों की कौन सी बात सही है और कौन सी गलत । परमिट फ्री कर दिया गया यह एक समाजवादी कदम है । अब इससे घूस और भ्रष्टाचार सारा समाप्त हो जायेगा, जिसकी आलोचना समय-समय पर सदन में हुआ करती थी । हम सबको एक मत होकर इस समाजवादी विधेयक का हर्षोल्लास के साथ समर्थन करना चाहिये और स्वागत करना चाहिये । परिवहन विभाग का सब करप्शन दूर हो जायेगा । अब वे ड्राइवर जिनके हाथों में हुनर है, मालिक बनेंगे । इस तरह के समाजवादी विधेयक का खुलकर समर्थन होना चाहिये । नहीं तो लाबी में बैठे लोग देख रहे हैं कि यह केवल कोरा नारा लगाते हैं, लेकिन जब हमारी सरकार समाजवादी कदम उठाती है, तो यह उसका विरोध करते हैं । ये बसों के रोजगार की इजारेदारी चन्द हाथों में बनाये रखना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे दोस्तों को सद्बुद्धि आयेगी और वे इसका समर्थन करेंगे ।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)––

मान्यवर, जैसे हमारे मित्र अभी सदन के समक्ष अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग आते हैं किसी चीज का विरोध करने के लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने सुनने की कृपा नहीं की। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम मेरी बातों को सुनने की कृपा करें। तो शायद इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। विरोधी पक्ष का जो संशोधन है, उसकी ओर से जो बातें कही गई हैं, उनका कदापि मतलब नहीं है कि आप जितनी तरक्की की ओर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप न जायें। जब कोई व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसके आधारभूत सिद्धान्तों पर सबसे पहले विचार करें। हमेशा होता चला आया है कि जब कोई कठिनाई हुई किसी एक सेक्शन को छू दिया। आपने एक अध्यादेश जारी कर दिया। पता नहीं क्या परिस्थितियां थीं जिनको ध्यान में रखकर ऐसा किया। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में अनेकों खामियां हैं। आज से बीस वर्ष पहले और आज के जमाने में जो यातायात में आधार भूत परिवर्तन हुए हैं, वैसे कुछ मुकहमे थे जैसे पी० डब्लू० डी०, बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का मुहकमा आज से पहले बड़े बदनाम थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, एक दो सालों में परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जितनी बदनामी है, वैसे शायद किसी मुहकमे में न हो। उसकी ओर भी नजर जाना चाहिए। हमारा काम है कि उस तरफ हम आपकी तवज्जह दिलायें और अगर आप सही मानी में काम करना चाहते हैं तो आप उसको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन जिस तरफ निकल जाइये परिवहन आयुक्त के खिलाफ कोई किताब मिल जायगी। परिवहन मन्त्री के खिलाफ कोई पर्चा मिल जायगा। कोई न कोई पर्चा रोज मिलता है। अख्बार में रोज निकलता है परिवहन मन्त्री के खिलाफ, कानपुर में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, होटल में क्या हो रहा है ऐसी बातें हैं कि मैं पूरी तरह से कहना मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें हैं। मैं समझता था कि आधारभूत ढंग से, जब कानून में संशोधन कर रहे हैं, तो उसके साथ सारी चीजों को रखना चाहिए। वह आपने नहीं किया।

उद्देश्य में आपने लिखा है कि हम चाहते हैं कि जो बस की परमिटों की व्यवस्था कड़ी थी उसको ढीला किया जाय, ताकि परमिट दिये जाने में सख्ती है, रुपया देकर परमिट जारी किये जाते हैं वह समाप्त हो जाय। इसके लिए विधेयक लाये हैं। मुझे लगता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में इस विधेयक से कठिनाई होगी। ऊपर से तो कह दिया गया लेकिन जो लाइन रखी है, खिड़की का दरवाजा आपने वही अब भी रख दिया। विधेयक के पृष्ठ 2 पर, पुरानी धारा 50 के स्थान पर जो धारा रखी गई है, उसमें कहा गया है--"कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ठेका-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखेगा कि लोकहित में किस सीमा तक अतिरिक्त ठेका-गाड़ियां आवश्यक या वांछनीय हो सकती हैं और किसी ऐसा अभ्यावेदन पर भी विचार करेगा जो उस सम्भाग में किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा इस आशय से तत्समय दिया जाय या पहले ही दिया गया हो कि उन ठेका-गाड़ियों की संख्या, जिनके लिए अनुज्ञा-पत्र पहले दिये जा चुके हैं, सम्भाग या सम्भाग के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं या आवश्यकता से अधिक हैं।" जब पुलिस प्राधिकरण को परिवहन विभाग के प्राधिकरण को इस बात का अधिकार है कि वह नयी परमिटें देते समय यह रिपोर्ट दे कि जो गाड़ियां चल रही हैं वे ज्यादा हैं और नई परमिट देने की गुंजायश नहीं है। जो पुराने ठेकेदार हैं, जिनकी मोनोपली है, वह इस तरीके की रिपोर्ट करा सकते हैं कि अब जरूरत नहीं है, अब नई गाड़ियों की गुंजायश नहीं है। जब आप इस बात का इन्तजार करेंगे कि आपका अधिकारी चाहे पुलिस का हो या परिवहन का हो, उसकी रिपोर्ट देखी जाय कि ये जो प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं उनको मंजूर करने की जरूरत है या नहीं? पहले से ही ज्यादा गाड़ियां हैं तो मैं समझता हूं कि जो आपकी मंशा है वह पूरी नहीं हो सकेगी। लिहाजा इस कानून से आप इन लाइनों को हटाइये।

इन परमिट्स के देने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त था। एक-एक बस के परमिट में 8 हजार से 20 हजार रुपये तक की रिश्वत चलती है और वह अपने चहेतों को मिलती है। इससे पहले गोरखपुर रीजन में बड़ी शिकायत थी कि विधायक लोग रहते हैं, बड़ी गड़बड़ी करते हैं लेकिन अब तो वहां बड़े उच्चाधिकारी हैं। एक परमिट ऐसे आदमी को दी गई जो पूजा-पाठ करता, कुंडली देखता है। भविष्यवाणी करता है कि कौन अधिकारी रिश्वत लेता है और वह छूट जायगा अथवा पकड़ा जायगा। लखनऊ में भी आकर वह पूजा पाठ करता था। उसके बेटे को परमिट दे दिया गया। इसमें एक व्यवस्था है कि राजनीतिक पीड़ित को कुछ वरीयता दी हुई है लेकिन उस वरीयता को ध्यान में न रख कर गोरखपुर रीजन में तीन-चार परमिट ऐसे दिये गये जिनको परमिट पाने का अधिकार न था, जिनमें न कोई क्षमता थी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं बतलाऊं कि वहां के एक पुलिस अधिकारी भी कमेटी में बैठते हैं उनके कोई सन्तान नहीं होती थी और पंडित ने उनको बताया कि इस तरह से

[श्री रामधारी शास्त्री]

आसन लगाइये, यों पूजा कीजिये तो आपको सन्तान लाभ हो सकेगी। इसके बदले उस पंडित को परमिट दे दी गयी। आपने जो समिति बनाई है उसमें वही लोग हैं जिनके खिलाफ आज भी शिकायतें हैं और जो 10, 20 हजार रुपया रिश्वत लेते हैं। मिनिस्टर महोदय उसके अध्यक्ष हैं। डी० आई० जी० महोदय, पी० डब्लू० डी० सर्किल के सुपरिटेंडिग इंजीनियर उसके सदस्य हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट आफिसर्स हैं। इन अधिकारियों के माध्यम से वहां जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना पहले कभी नहीं होता था।

माननीय सदस्य ने कहा कि इससे गरीब लोगों का हित होगा लेकिन जब 50 हजार से कम कीमत पर कोई बस नहीं चलाई जा सकती तो परमिट गरीबों को कैसे मिल सकेगा। गरीबों को नहीं बल्कि कुछ नये पूंजीपतियों को परमिट मिलेगा और वह हजार-दो हजार रुपया माहवार पर दूसरों को वह परमिट दे देंगे, कमीशन कमायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सरकारी तथा गैर-सरकारी लोगों को इस समिति में रखिये और केवल नौकरशाही के हाथ में इस काम को मत दीजिये। नौकरशाही के कारण इसमें घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसी के साथ सरकार को टैक्सीज तथा एम्बेसेडर के परमिट की भी व्यवस्था कर देनी चाहिये थी और उसको एक कानूनी शक्ल देनी चाहिये। किसी पर नहीं छोड़ना चाहिए और यह नियम बन जाय कि जब कोई दरख्वास्त दे तो वरीयता के हिसाब से उसको परमिट मिल जायगी। इसमें कोई शिकायत किसी को नहीं होगी। लेकिन होता यह है कि मैं कल दरख्वास्त दूं और मेरी पहुंच है तो आज परमिट मिल सकता है और तीन-चार साल की दरख्वास्तों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, उनका कोई पुरसांहाल नहीं है और उन प्रार्थना-पत्रों की स्वीकृति दो साल तक नहीं पहुंच पाती है। लिहाजा सरकार जब कोई सुधार करना ही चाहती है तो फिर मेरा यह सुझाव स्वीकार किया जाय कि वह सरकारी और गैर-सरकारी लोगों को समिति में रखे।

इसके साथ ही साथ आप सारा एक विधान ही बना दें जिससे किसी को कठिनाई न हो। कानून बना देने से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। इसलिये मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में जो कुनबा-परस्ती और भ्रष्टाचार की शिकायतें फैली हुई हैं उन सबको दूर करने के लिये आप एक पूरा विधेयक लायें। इसीलिये हम इस संशोधन को लाये हैं। मान्यवर, जल्दी क्या है, कौन-सा आसमान गिरा जा रहा है? वह दस दिन और बढ़ जायगा तो कुछ नहीं बिगड़ता। इस पर मन्त्री जी कहेंगे कि अध्यादेश की अवधि समाप्त हो रही है किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने संशोधन दिया है उसमें यह है कि एक सप्ताह के अन्दर एक समिति बैठे और वह पूरी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में दे और इस विधेयक की परिधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट दे। उसके बाद एक सांगोपांग विधेयक लाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की निश्चित रूप से नीयत नहीं है। जैसाकि मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि आपने फिर उन्हीं पुलिस अधिकरणों और अधिकारियों के हाथ में यह काम दे दिया है। जो नई दरखास्तें होंगी उनको परमिट देना ही होगा या नहीं। पैसे वाला व्यक्ति तो परमिट बना ही लेगा तो भ्रष्टाचार कहां दूर हुआ। हां, यह जरूर होगा कि कई दरख्वास्तें आ जायेंगी आपकी रकम ज्यादा हो जायेगी, खर्चा ज्यादा हो जायगा इस पचासवीं धारा पर जो आपने लिखा है उससे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा और न ही किसी का कल्याण होगा। इसलिए सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे भले ही उसमें अपने ही मेम्बरों को रख लें और वह एक सप्ताह के अन्दर उसका एक प्रारूप तैयार करे तब हम इस विधेयक का स्वागत करने की स्थिति में होंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, सदन के दोनों पक्षों से जो भावनायें व्यक्त की गईं उसमें इस संशोधन के प्रस्ताव का स्वागत हुआ है। यद्यपि उसमें एक-दो बातें इस संशोधन की परिधि के बाहर भी कही गईं किन्तु उनका यहां पर उल्लेख करना जरूरी भी था। इसलिये यदि आप मुझे आज्ञा दें तो इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें मैं भी और कह दूं। यह बात मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार की है कि जो आमतौर से शिकायतें लोगों की तरफ से आती थीं उनसे अधिक शिकायतें आने लगी हैं जिसके कारण इस विधेयक को लाना उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को अनुभव है कि प्रदेश के अन्दर जितने भी एस० टी० ए० हैं और उनके द्वारा जो निर्णय हुआ है उसको हमेशा चुनौती दी गई है। उसके बारे में भी कहा गया कि भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय शास्त्री जी ने गोरखपुर का जिक्र किया मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। सरकार ने जो भावना व्यक्त की है कि यदि वरिष्ट अधिकारी इसमें होंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा किन्तु इसका ज्वलन्त उदाहरण देहरादून की परिवहन समिति में मिलता है। वहां पर जो परमिट दिये गये हैं उनसे लोगों में इतना असन्तोष है कि अगर माननीय मन्त्री जी इस विषय पर हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच करा दें तो मैं चुनौती देता हूं कि यदि यह बात सत्य निकल जाय भ्रष्टाचार की बात साबित न हो तो जो सजा वे मुझे देना चाहें, मैं स्वीकार कर लूंगा।

इस विधेयक को लाकर पूरी तरह से इस समस्या का समाधान हो जायगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। जैसा कि अभी प्रकट किया गया परमिट आपने अभी समाप्त बिलकुल नहीं किये, बल्कि लिबरल कर दिये। जो व्यक्ति चाहे उसको दिया जायगा, किन्तु फिर भी उसमें यह डिस्क्रिशन रखा गया है कि यह सरकार के हाथ में रहेगा। अगर सरकार निर्देश देगी, उसी के अनुसार परमिट दिये जायेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जो बहुत से तरीके उनके पास थे उनमें एक तरीका यह जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को कुछ नहीं दे पाये उन 10 20 50–100 लोगों को कम से कम परमिट देकर के ही सीधा कर लिया जाय। अगर ऐसी कोई व्यवस्था करने का सरकार का इरादा है तो मैं समझता हूं कि वह निन्दनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। वैद्य जी हंस रहे हैं, शायद उनको सूचना नहीं है, यह यादव जी की योजना है। तो यह जो परमिट देने में कहीं पर आपने इफ, बट, कामा, फुल-स्टाप अगर लगाया है तो उसको हटा दीजिये। इतना मुक्त कर दीजिये कि परमिट लेने के लिए जब कोई जायगा तो उसको अनुमति तुरन्त मिल जाय। जो गाड़ी खरीदने के लिए खर्चा है, वह दूसरी चीज है। मेरा सुझाव था और सबने उसका समर्थन किया कि हम थोड़ी सी ऐसी कैटेगरीज बना दें, क्राइटेरियन तय कर दें जिसके अनुसार उनको परमिट दिया जाय। मिसाल के तौर पर इतना बड़ा युद्ध हुआ, हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए। उनके परिवार इस प्रदेश में हैं। उनके लिये गवर्नमेंट व्यवस्था कर सकती है कि प्रत्येक को एक बस का परमिट दे दिया जायगा, तो जीवन भर का एक रोजगार का साधन हो जायगा। अगर अपंग सैनिक है, उसको दे देंगे तो उसका और उसके परिवार का भरण-पोषण हो जायगा। बहुत से हरिजन बन्धु, बैकवर्ड जिनको हम कहते हैं इन दोनों श्रेणियों में भी कुछ प्राथमिकतायें तय कर सकते हैं। अगर यह करने की स्थिति में हो जायं तो यह दौड़ बन्द हो सकती है और उसके साथ-साथ मैंने जिस सम्बन्ध में अपना अधिक समय लगाया था, मैं उसको फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। वह यह कि इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि जिन लोगों के पास परमिट है उनको आगे परमिट नहीं दिये जायेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह विधेयक बेकार है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप कोई कानून बना दीजिये, उसमें रास्ता निकालने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

के लिए लोग तैयार बैठे हैं। पूंजीपति तो हर रास्ते से अपना काम करा लेता हैं। पूंजीपतियों ने इस समाजवादी कहलाने वाली सरकार को जो "गरीबी हटाओ" का नारा देती है, इसको भी खरीद लिया और इनके वोट लेने के लिए आज पूंजीपति बाहर खड़े हैं और समाजवादी सरकार है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस बात का रास्ता निकाल लेंगे कि जिनके पास 10-20-50 परमिट है उनके भाई-भतीजे लाइन में खड़े होकर परमिट ले लेंगे। तो यह प्रतिबन्ध होना चाहिए कि पहले से परमिट वालों को परमिट न दिये जायं।

जिक्र किया गया रोडवेज की दुर्व्यवस्था का, हालांकि उसका यह योग्य अवसर नहीं है, लेकिन संकेत हो गया तो मैं कहना चाहूंगा कि रोडवेज की जो स्थिति है आज आप आयोग बनाने जा रहे हैं। उसकी क्या स्थिति होगी? वह तो बिना लगाम का ऊंट होगा। आज परिवहन मन्त्री अगर इस व्यवस्था को सुधारना चाहें तो शायद कुछ कर सकें, अभी तक तो कुछ किया नहीं है।

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मन्त्री जी का ध्यान मेरी तरफ, आ जाय इधर कुछ तेजी से झगड़ा हो गया है।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

आप अपनी बात कहिये। इनको भ्रम है, श्रीमन्।

श्री रियासत हुसैन—

झगड़ा हममें हो रहा है और नुकसान रामधारी जी का हो रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

झगड़ा नहीं श्रीमन्, प्रेम कर रहे हैं। इनका प्रेम भी दुखदायी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप आयोग बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप उसे काबू नहीं कर पायेंगे।

कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं वे कहते हैं कि जो वेतन देने जा रहे हैं, नये व्यक्ति को वह नहीं मिलेगा जो आज मिल रहा है। इन चीजों की ओर आप कम ध्यान दे पायेंगे। मैं आप से निवेदन करूं कि माननीय रियासत हुसैन जी ने जो टेम्पोरेरी परमिट की बात कही वह मेरी समझ में नहीं आई।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जब बोला करें तो लगाम शब्द का प्रयोग न किया करें क्योंकि यह अन-पार्लियामेंटरी है। यह घोड़े के लगाई जाती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं समझता हूं कि इनको मति भ्रम है।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई नाम लेकर कहे...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर इनके लगाम लगाई जाय तो आपत्ति हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

सरकार बेलगाम हो रही है, यह कहना इसमें कोई गैर पार्लियामेंटरी बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

भाई रियासत हुसैन ने कहा कि टेम्पोरेरी परमिटों का शादी के नाम पर लेकर दुरुपयोग होता है। इस विधेयक के अन्दर कहां लाना चाहते हैं। जो टेम्पोरेरी परमिट्स दिये जाते हैं उसमें कोई कम्पटीशन नहीं है। आप जहां चाहे गाड़ी ले जाइये आपको परमिट मिल जायगा। अगर रोकने की बात है तो दूसरी बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसेज और सरकारी बसों में एक प्रतियोगिता होनी चाहिये। इससे किराये में कमी होगी और सुविधा तथा आराम में भी बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन यह दूसरा विषय है।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरे संशोधन की भावना को सब ने स्वीकार किया है कि जो नया संशोधन विधेयक ला रहे हैं उससे समस्या हल नहीं होगी। कुछ लोगों को परमिट दिये जाने का अधिकार आर० टी० ए० तथा सरकार के हाथ में रहेगा और वे अपने व्यक्तियों को ही दिये जायेंगे और जिनको मिलने चाहिये उनको नहीं मिल पायेंगे। जिनके लिये पाबन्दी होनी चाहिए नहीं हो पायेगी जिन्होंने एकाधिकार किया हुआ है। इन शब्दों के साथ यदि मन्त्री जी मेरी भावनाओं का इसमें समावेश कर लें तो मैं समझूंगा कि वे प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं वरना यह सरकार तानाशाही की ओर बढ़ती चली जा रही है।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू से अन्त तक सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने। माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा कि परमिटों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि हमें शायद भ्रम हो रहा है कि परमिट दिये जायेंगे। इसलिये मैंने उस समय कहा था कि अगर सरकार घोषणा कर दे किसी को परमिट की आवश्यकता नहीं होगी तो फिर सारी बहस ही समाप्त हो जायेगी। अगर परमिट देने की आवश्यकता है तो कैसे आसानी से दिये जायें। यह बात हमारी समझ से परे है। लेकिन अगर सरकार ऐसी घोषणा कर दे तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूं। पहले सरकार से पूछ लें कि हमारी समझदारी ठीक है या रियासत हुसैन साहब की समझदारी ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सब लोग समझदार हैं। वे लोग समझ लेंगे कि विधेयक की जरूरत है या नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ठीक है। श्रीमन्, मैंने समझ लिया है। आप सुनें दूसरी दलील क्या दी गई। हमारे मित्र ने हमारे ही पक्ष में कहा कि इसमें इस-इस प्रकार के भी संशोधन आ सकते हैं और इन संशोधनों की आवश्यकता वे समझते हैं। वही बात तो हम भी कहते हैं, फिर मतभेद कहां है। आप उसी की घोषणा करवा दीजिये

श्री रियासत हुसैन—

प्रवर समिति की बात कहां से आ गई ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

किसी संशोधन विधेयक को रिजेक्ट करने का काम प्रवर समिति नहीं करती है। सिद्धान्तः प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात को स्वीकार कर लिया जाता है। उसी बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

के लिए कहा जाता है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। सरकार कहे कि हम बनायेंगे शक्ल एक आदमी की और अगर वह बनाने लगे राक्षस की तो क्या माना जायगा? जबान हो आदमी की और काम हो राक्षस का तो क्या माना जायगा? तो यह कठिनाई हो रही है। दूसरी बात भाई राजमंगल पांडेय जी ने कही। हैं नहीं, चले गये हैं।

एक सदस्य—

चले नहीं गये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उधर हैं, काफी पीछे। आपने उनको काफी पीछे धकेल दिया है। मैं यह समझ रहा हूं कि इसको विवाद का विषय बनाया गया। मैंने जो तर्क दिया उसका कोई जवाब नहीं। उसके सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। यह कहा कि विरोधी पक्ष जो भ्रष्टाचार की शिकायत करता है तो उससे उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो यह सरकार यह चाहती है कि हम भ्रष्टाचार की शिकायत न करें। यह सरकार इन्हीं बातों पर चलना चाहती है। अधिकारियों को भ्रष्ट करने के तरीके थे। मेरा यह कहना है कि जो लोग अधिकारियों को भ्रष्ट करते थे वे अब सरकार को भ्रष्ट कर रहे हैं।

इस विधेयक के दूसरे खंड में 43-ए (1) नई धारा बढ़ाई जा रही है और उस धारा की हेडिंग ही यह है :—

परिवहन प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति।

सारी शक्ति उन प्राधिकरणों को निर्दिष्ट करके राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। इसके उतर में कोई बात न कह कर सिर्फ यह कहा जा रहा है कि हम यह करेंगे। आप ठीक ही पढ़ रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपकी निगाह इसी विधेयक पर है। इसमें लिखा है :—

"राज्य सरकार पथ-परिवहन से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा किसी संभागीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसे सामान्य प्रकार के निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह लोक हित में आवश्यक या इष्टकर समझे और ऐसा परिवहन प्राधिकरण ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा।"

ये साफ क्यों नहीं करते कि इस प्रकार के सामान्य निर्देश जारी करेंगे? इच्छा क्या है, किस प्रकार के सामान्य निर्देश जारी करने की इच्छा है? किस काम के लिए यह नई धारा बढ़ाई जा रही है? न तो उद्देश्य और कारणों में साफ है और न अपने भाषण में ही साफ किया है और उससे यह शंका उत्पन्न होती है कि जो हमारे माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा कि इस-इस प्रकार के अस्थायी या ठेका परमिट बनते हैं तो उनकी शंकाओं का भी इसमें निराकरण कहां है। मैंने एक निवेदन किया था कि आपकी नीति है क्या? एक माननीय सदस्य ने कहा कि समाजवादी तो है ही। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि समाजवाद की जितनी चर्चा अब हो गई है गली गली, कूचे-कूचे में और व्यंग का समाजवाद चल पड़ा है तो इस सबसे इस शब्द का निरादर हो रहा है।

श्री त्रिवेणी राय—

इस समाजवाद से आपको पीड़ा तो नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

दिक्कत यह है कि उस तरफ बन्दर के हाथ लग गया है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि समाजवाद का कौन कौन सा काम है जिससे यह विधेयक समाजवादी है, प्रगतिशील है। आप कुछ समझायें तो कि कहां इसमें समाजवाद और प्रगतिशीलता है। समझायेंगे नहीं। कहेंगे, समाजवादी है। अच्छा साहब मुझे क्या एतराज। समाजवाद की कोई ऐसी परिभाषा होगी जिसमें सारी शक्ति केन्द्रित करने की बात होगी। एक समाजवाद है जो मास्कोवादी समाजवाद हो सकता है। श्रीमन्, मैं अपने मित्र राजमंगल पांडेय का आभारी हूं जिन्होंने एक बात कबूल की और वह यह कि रूल्स में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो खामियां हैं वह दूर हों। अब अन्तर क्या रह गया। मैं कह रहा हूं कि विधेयक के जरिये से यह काम होना चाहिए और वह कह रहे हैं कि रूल्स के जरिये। लेकिन खैर, उन्होंने सरकार में रहते हुए इस प्रकार का सुझाव दिया मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सुझाव अच्छा है। मेरा उनसे विरोध नहीं। लेकिन मैं इतना चाहूंगा कि सरकार के सामने विरोधी पक्ष से ही नहीं सरकारी पक्ष से भी सुझाव आये और यही मेरी मंशा थी और मैं ऐसा समझता था कि सरकारी पक्ष के सदस्य भी जब प्रवर समिति में बैठेंगे तो निस्सन्देह उनके सुझावों का विशेष महत्व होगा। श्रीमन, जिस ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है यह ऐक्ट अंग्रेजों के जमाने में सन् 1939 में बना था। आज है सन् 1972। सरकार उसमें चिप्पी लगाना चाहती है। अगर मन्त्री जी मेहरबानी करके विधेयक की परिधि बढ़ान की बात स्वीकार कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिक्कत मैं समझ सकता हूं कि जितना उन्होंने किया है उतने से ही सम्बन्धित इन्होंने केन्द्रीय सरकार को लिखा होगा। यह केन्द्रीय ऐक्ट है और उससे आगे शायद केन्द्रीय सरकार ने इनको छूट न दी हो। मेरा इनसे एक निवेदन है कि प्रवर समिति के द्वारा जो सुझाव आयें उन्हें केन्दीय सरकार को भेजें। ऐसा ख्याल है कि केन्द्रीय सरकार ही इस मामले में सर्वाधिक बाधा रही है। अगर ऐसा न होता तो यह संशोधन वहीं से हो गया होता और यह कठिनाई न होती। मैं राज्य सरकार को इसमें दोषी बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन एक बात है और वह यह है कि आज बदली हुई परिस्थिति में,जनता की इच्छा के अनुरूप, उसकी सेवा के अनुरूप राष्ट्रीयकरण मार्गों को करने की बात है। अराष्ट्रीयकृत मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने के लिये यह आवश्यक है कि एक ही बार इस संशोधन को लागू कर दिया जाय, वरना उसमें आगे चल कर बहुत सी कठिनाइयां आने वाली हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। या तो मन्त्री जी कह दें कि उनके मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती अथवा उन कठिनाइयों का ध्यान रख कर उनका कोई प्रबन्ध करें। एक बात तो वह यह कर दें कि परमिट पाने का जो भी अधिकारी होगा और वह एप्लीकेशन देगा उसको परमिट दे दिया जायगा, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई निश्चित बात न हो। उन कारणों को आपको यहां डिफाइन कर देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी उन कठिनाइयों का उल्लेख करेंगे, उनको बताना मुनासिब समझते होंगे क्योंकि मैं यह समझता हूं कि आपके दृष्टिकोण में यह बात आ गयी होगी। हां, ऐसा भले ही हो सकता है कि सेक्रेटरियट से तैयार हो कर बिल आ गया हो और आपने उस पर केवल दस्तखत कर दिये हों। वरना आपके ध्यान में वे कठिनाइयां जरूर आ गयी होंगी जो परिवहन के सिलसिले में जनता को आती हैं और उनको दूर करने की ओर भी मन्त्री जी का विचार जरूर गया होगा। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इस बारे में अपने भाषण में जरूर प्रकाश डालेंगे।

जहां तक उद्देश्य का ताल्लुक है मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और समझता हूं कि सरकार का इरादा बिलकुल ठीक है, केवल तरीके में गड़बड़ है। उस तरीके के लिए सरकार को सदन के सदस्यों से बात करना चाहिए और वह बात प्रवर समिति में हो सकती है। अगर माननीय मन्त्री जी को कुछ दिक्कत है तो उसका समय एक माह के बजाय 7 दिन या तीन दिन रख दें। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से आशा करता हूं कि मेरे संशोधन पर विचार किया जायगा।

श्री बलराम सिंह यादव---

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये इससे यह साफ जाहिर होता है कि विपक्षी दल और सरकार दल के सभी सदस्य इस बात को मानते हैं कि जो संशोधन लाया गया है वह बहुत अच्छा है और जनहित में है।

भाई कल्पनाथ सिंह और अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस विधेयक को तीन मास के लिए जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय या इसको प्रवर समिति में विचारार्थ भेजा जाय। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि माननीय सदस्यों को शायद मालूम होगा कि इस अध्यादेश को जारी हुए 15 दिन हो चुके, यह 16 मार्च, 1972 को जारी हुआ था और उस दिन से आजतक मुझे सूबे का एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, जिसने सरकार के पास विरोध स्वरूप एक भी पत्र भेजा हो या किसी ने आकर मेरे सामने एक शब्द भी कहा हो। मुझे प्रदेश के सैकड़ों लोग मिले और लोगों के पत्र भी मिले जिन्होंने मुझे और सरकार को बधाई दी है कि यह जो संशोधन किया जा रहा है यह बहुत ही अच्छा है और इस से वे सारी कमियां दूर हो जायंगी जिन के बारे में आम चर्चा हुआ करती थी।

एक बात यह कही गई कि यह अव्यवहारिक है। यह परमिट का प्रस्ताव अव्यवहारिक है और यह नहीं हो सकेगा। मैं अर्ज करूं कि आज से 18-20 साल पहले, मुझे तारीख याद नहीं, जिस तरह से कि आज यह स्टेट करेज बसों का परमिट मिलता है इसी तरह से पहले ट्रकों का परमिट मिला करता था। जिस समय यह ट्रकों के लिये परमिट बनाई गई थी उस समय भी यह आम चर्चा का विषय था और लोगों को शंका थी कि यह प्रणाली व्यावहारिक हो सकेगी या नहीं लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि यह प्रणाली बड़ी सफल रही। उसको मद्दे नजर रखते हुए अगर हम स्टेट कैरेज बसों की परमिट प्रणाली को अपनाते हैं तो प्रदेश में उसके असफल होने का कोई कारण नहीं है। स्टेट कैरेज प्रणाली के बारे में जो यह संशोधन लाये गये हैं उनके बारे में सम्भवतः कुछ माननीय सदस्यों को थोड़ा सा भ्रम है वह शायद समझ नहीं पाये हैं इसको। मन्शा उनकी यह है कि जैसे आज परमिट की प्रणाली यह है कि जो परमिट प्राप्त करना चाहता है वह आर० टी० ए० कमेटी के सामने प्रार्थना पत्र देता है, वह कमेटी उस पर विचार करती है और उसके बाद जिन लोगों को उचित समझती है उनको वह परमिट देती है और जिन को उचित नहीं समझती है उन को नहीं देती है। व्यवहार में और वैसे देखने में यह आता है कि जो लोग सक्षम होते हैं रिसोर्सफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं उनको परमिट मिल जाता है और जो साधनहीन हैं और रिसोर्सफुल नहीं हैं उनको परमिट नहीं मिल पाता। देखा गया है और इस तरह की शिकायतें भी आई हैं कि एक-एक आदमी के पास बहुत परमिट हैं और जो गरीब निर्धन एक परमिट चाहता है वह परमिट नहीं ले पाता। इस प्रथा को खत्म करने के लिए और इसी मनशा को पूरा करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है कि गरीब को भी परमिट मिल सके।

रोजगार के बारे में जिक्र किया गया। इस विधेयक का आशय यह भी है कि जब परमिट लिबरल होंगे तो बेरोकटोक जो भी व्यक्ति प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर कोर्ट फीस का टिकट लगाकर आर० टी० ए० और चेयरमैन को प्रार्थना पत्र देगा उसको बिना किसी रोक-टोक के परमिट दिया जायगा और किसी तरह के करप्शन का इस में सवाल ही पैदा नहीं होता।

तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात का भ्रम रहा होगा कि यह संशोधन करने के बाद भी आर० टी० ओ० के चेयरमैन या कमिश्नर को परमिट का डिस्क्रीशन रहेगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह कही गयी है कि इस संशोधन से सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। सरकार के पास न पहले कोई अधिकार थे और न अब भी मंशा है कि उसके हाथ में ये अधिकार आ जायें, जिससे वह ये संशोधन करना चाहती है।

सरकार की मंशा केवल इतनी ही है कि जनता के हित को देखते हुए समय-समय पर जैसी जनता की मांग और जो आर० टी० ए० की भी डिमान्ड आय उसे पूरा कराने का सुझाव दे सके ।

तीसरे यहां पर यह भी कहा गया है कि इनसे राष्ट्रीयकरण की नीति के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है हमने जो रूट्स नेशनलाइज कर दिय ह, उन पर, हम प्राइवेट लोगों को बसज चलान की इजाजत नहीं देने जा रहे हैं तथा जो रूट्स हमने नेशनलाइजशन की स्कीम म लिए हैं, उनको नेशनलाइज करेंगे, उनके ऊपर भी प्राइवट लोगों को परमिट नहीं देने जा रहे हैं। उन्हें केवल उन रूट्स पर जो नान नेशनलाइज्ड हैं, परमिट देने की बात सोच रहे हैं। दूसरे यह कि आज हमारे सामने इस बात की समस्या है कि चारों तरफ चाहे वे नशनलाइज्ड रूट्स ह या नान नशनलाइज्ड, जनता की मांग आती है कि बसेज बढ़ायी जायं, जनता को सुविधा देन के लिए, लकिन दिक्कत इस बात की है कि जो मौजूदा रूल्स हैं, य सारी बातें पूरी नहीं हो पाती हैं और जनता को तकलीफ होती है। जो हमारे नशनलाइज्ड रूट्स ह जहां पर रोडवेज की बसें चलती हैं, उसम भी हमारे पास इतन साधन नहीं ह कि हम तेजी से और बसेज चला सके और दूसरे रूट्स को नेशनलाइज कर सकें। इस विधयक की मंशा केवल यह ही है कि हम तेजी से नशनलाइज कर सक। हमारे पास रिसोंसिज और पैसा इतना नहीं है कि बसेज अधिकतम मात्रा में खरीद सक और जो एक्जिस्टिंग रूट्स हैं, उन रूट्स पर भी बसेज ला सके ।

आज हमारी सरकार बड़ी तेजी से सड़कों के निर्माण की योजना बना रही है। 4–5 साल के अन्दर प्रदेश म बहुत सी सड़कें बन कर तयार हो जायेंगी। तो जो नयी सड़कें बनन जा रही हैं, उन पर हम क्या करेंगे और जो एक्जिस्टिंग रूट्स हैं रोडवेज के उनके ऊपर भी बसो को बढ़ाना है और नान नेशनलाइज्ड रूट्स पर भी बढ़ाना है तो इन सारी बातों को देखते हुए कार्पोरेशन बनाया गया है ताकि नान नशनेलाइज्ड रूट्स पर जनता को अधिक सुविधा दी जा सके और भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। मने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है और मुझे आशा है माननीय सदस्य इस विधयक को पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नियमानुसार इस विधेयक पर 2 बजे के पूर्व वोटिंग नहीं होगी इसलिए आप 10 मिनट और अपना भाषण जारी रखें।

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि उनका भाषण समाप्त हो गया है। इस समय इस पर वोटिंग हो नहीं सकती है। अब इसलिए दूसरा विधेयक ले लिया जाय और फिर बाद में इस पर एक साथ वोटिंग हो जायगी।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय। श्रीमन, इस विधयक का उद्देश्य नगरपालिकाओं की सुधार योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जित करने की कायवाहियों के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयों को दूर करन के उद्देश्य से और न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाल तत्सम्बन्धी मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने को सुनिश्चित करने क लिये उत्तर प्रदेश

†29 मार्च, 1972 की कायवाही में छपा है।

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

नगरमहापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

श्रीमन, हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि शासन शीघ्रता के साथ यहां के निवासियों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करे। आज जो नगर महापालिकायें अथवा आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इस ओर कार्य किया जा रहा है उसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। उनको दूर करने और गन्दी बस्ती उन्मूलन योजनाओं के लिये बाजार दर से कम दर पर भूमि तथा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत हानि-लाभ रहित सिद्धान्त के अनुसार जनता को भूमि एवं मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, तथा वीर गति प्राप्त सैनिकों, उन के परिवारों एवं विकलांग सैनिकों के लिये उचित व्यवस्था करने हेतु ही यह बिल लाया गया है। न्यायाधिकरण के द्वारा अनेक कठिनाइयां उपस्थित हैं। श्रीमन, उसके स्वरूप को बदलने का भी इस अधिनियम में उल्लेख है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसकी विशेषता और इसकी महत्ता को समझते हुए इसे पास करेंगे। इसमें कोई विवाद की विशेष बात नहीं है।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने हेतु 3 माह के लिए परिचालित किया जाय। जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है। श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि यह सरकार इस हद तक गलत काम करने पर क्यों तुली हुई है। जहां तक सवाल है उस खण्ड को जो धारा 129 में जोड़ा गया है कि सैनिकों को कम मूल्य पर जमीन दे दी जाय वह तो एक स्वागत योग्य बात है। उसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती हैं। जब आप ऐसी जमीन देना चाहेंगे तो जो सैनिक परिवारों या जो शहीद हुए हैं या जो उनके परिवार हैं उनको बाजार मूल्य से कम मूल्य पर जमीन दे दें तो उचित बात है। परन्तु श्रीमन, इसमें देखेंगे कि इसमें सरकार एक ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें विरोध करना आवश्यक हो गया है। पहली बात तो श्रीमन्, जो धारा 373 में संशोधन किया जा रहा है ट्रिब्यूनल की जगह एक जज की नियुक्ति की बात कहीं गई है यह श्रीमन्, कहां तक न्याय संगत होगा। इस पर जरा माननीय मन्त्री जी विचार करें। जब आप भूमि अर्जन की कार्यवाही करते हैं एक कोर्ट के अन्दर भूमि अर्जन की कार्यवाही करने के लिए बैठे हैं तो जो आज तक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अन्दर एक जज और दो उसके सहायक ऐसे होते थे जो कि मिलकर और राय देकर एक बात को उसकी जांच पड़ताल मौके की भूमि की जांच पड़ताल करते थे तब उसके अन्दर गलती होने की कम से कम गुंजायश रह जाती थी। तीन लोगों के इस ट्रिब्यूनल के बजाय अब माननीय मन्त्री जी लाना चाहत ह एक जज। एक जज के द्वारा आप कहते हैं कि न्याय म शायद आसानी हो जाय, शायद सुगमता हो जाय, शायद जल्दी हो जाय। लकिन यह दलील इसलिए सही नहीं है कि जो आज मनमानी स्थान-स्थान पर हो रही है और मुझे यह कहने म संकोच नहीं है श्रीमन्, जो आज तक यह जो सत्तारूढ़ दल की जो चाहे लखनऊ म हो चाहे दिल्ली में हो लगातार इसका एक ही नारा है, एक ही भाषण है और वह यह है कि चाहे सर्विसेज हों वे कमिटेड होनी चाहिए, प्रेस हो वह इसके साथ सदा बन्धा होना चाहिए और इतना ही नहीं जुडीशियरी को भी यह कमिटेड चाहती है और कह कर एक बार नहीं अनेक बार जो कांस्टीट्यूशन का जो इण्टरप्रेटेशन है संविधान की जो व्याख्या है वह व्याख्या भी समाजवादी विचारों के आधार पर या जो विचार धारा सरकार रखती है उस विचारधारा के आधार पर इसकी व्याख्या हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बार नहीं अनेकों बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान की जो व्याख्या होगी वह उसका जो मूलभूत सिद्धान्त है, जो उसकी भावना है उसी के आधार पर होगी। हां, आपको अगर बदलना है तो संविधान बदलिये। वह आप बदल रहे हैं। आज आप जो एक जज के हाथ में देना चाहते हैं उससे होगा क्या? वह एक इशारे पर काम करेगा, वह ऊपर के निर्देशों की प्रतीक्षा करेगा, वह न्याय के लिये स्वतन्त्र नहीं होगा। मैं हजारों में एक न्यायाधीश की बात नहीं करता। एक तो ऐसा भी हो सकता है जो सरकार की परवाह न करते हुए या उनकी भृकुटी की परवाह न करते हुए अपने न्याय के तराजू को बराबर रखे। लेकिन ऐसा न्यायाधीश हजारों में एक होगा परन्तु आमतौर से यह रवैया बन गया है क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्तियां, उनके ट्रांसफर्स उनकी पदोन्नति और रिटायर हो जाने के बाद अनेकों आयोगों के अन्दर उनकी नियुक्ति, सब आपके हाथ में है जिसकी वजह से आज वह स्वतन्त्र रूप से अपनी राय देने में असमर्थ पाता है। आप तो प्रगति करना चाहते थे। इसके अन्दर आपने कौन सी प्रगति की कि अभी तक जो एक न्यायाधीश और दो उसके सहयोगी बैठते थे उसके बजाय एक आदमी के हाथ में आप न्याय देना चाहते हैं। जो संशोधन मैंने रखा है कि इसे तीन महीने के लिए जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय वह इसीलिये रखा है। अगर जनता के पास तीन महीने के लिये चला गया तो कौन-सी ऐसी कार्यवाही है जो रुक जायगी? जो कार्यवाही कोर्ट में चल रही है मन्त्री जी भली प्रकार जानते हैं कि साल-साल दो-दो साल रुकी पड़ी रहती है। दो तीन महीन के लिए काम में क्या रुकावट आ जायेगी? उसमें कोई रुकावट नहीं आने की बात है। हां, जनता की राय मालूम हो जायेगी अन्यथा आप जो मनमानी करना चाहेंगे तो इतने बहुमत के साथ जो चाहें कर लें।

दूसरी आपत्तिजनक बात धारा 13 जो वैधीकरण की जोड़ी गई है वह है कि अगर किसी न्यायालय ने आज तक की अर्जन की कार्यवाही को अवैध ठहरा दिया है तो आप यह कहना चाहते हैं कि इस संशोधन के आने के बाद वह पुरानी कार्यवाही जो न्यायालय द्वारा अवैध करार दे दी गई थी वह सारी की सारी वैध हो जाय। यह इनकी तानाशाही मनोवृत्ति की परिचायक है। इससे न्यायपालिका, कार्यपालिका और इस विधान मण्डल के अन्दर जो एक सहयोग चाहिये वह समाप्त हो जायगा अगर न्यायपालिका द्वारा दिये गय निर्णय को आप एक कलम की नोक से समाप्त कर देंगे। फिर तो आप जो चाहें वह कर सकते हैं। जैसे इंग्लैन्ड की पार्लियामेंट सुप्रीम है, केवल आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है और मैं यह समझता हूं कि यह सरकार जो सामने बैठी हुई है आदमी और औरत को छोड़ दीजिये, दुनिया में कोई भी काम हो, उस काम को करने में अपने आपको समर्थ पा रही है। चाहे वह काम अवैध हो, नाजायज काम हो और चाहे वह कितना ही गिरा हुआ काम हो। यह जो भारी बहुमत वाली बात है, यह प्रजातन्त्र के लिये सुखदाई नहीं है क्योंकि आपने बहुमत के बल पर 10 एम०एल०ए० तोड़ लिये और उनको अपनी छाती से लगा लिया...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उधर के लोग कह रहे हैं कि इधर जाकर तोड़ेंगे...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह प्रजातन्त्र के लिये बड़ी दुखदाई होगी जिस दिन न्यायालय के निर्णय को हम चुनौती देंगे। मान लीजिये न्यायालय ने किसी कार्यवाही को अवैध घोषित कर दिया तो चूंकि आपके साथ बहुमत है तो दूसरा कानून बना देंगे। यह कोई प्रजातन्त्र का नियम नहीं है कि आप मनमानी करते चले जाय भारी बहुमत के होने पर और विरोधी दल के विचार भी पसन्द न करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने संशोधन के अन्दर 3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। पहली बात तो यह है कि जो मनिकों के लिये आपने इसमें जो स्थान दिया है कि उनको कम मूल्य पर जमीन मिलेगी, यह

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

स्वागत योग्य बान है। बाकी जो दो धाराय है जिनमें आप संशोधन कर रहे हैं वह अप्रजातांत्रिक है और जो न्यायपालिका है उस पर एक आघात है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को खुले दरबार में चुनौती के लिये भेज दीजिये। जनता के दरबार में जाइये, वहां आपको राय मिल जायेगी और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके विधिवेत्ता और जनता के प्रबुद्ध व्यक्ति जब राय देंगे तो आपकी समझ में आयेगी और जो दो धारायें आप जोड़ रहे हैं, उससे इस विधेयक की आत्मा का हनन हो गया है और इस विधेयक को आपने तानाशाही विधेयक बना दिया है तथा इससे प्रजातन्त्र का हनन होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

दो बज चुके हैं। पहला कार्य जिसमें प्रस्ताव भी पेश हो गया है, संशोधन भी पेश हो चुके हैं और उत्तर भी दिये जा चुके हैं, उस पर वोट लेता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका कोरम 2–3 से ज्यादा नहीं है और अगर कुछ लोग चल दिये, जैसा कि होता है, तो मैं उसी समय कार्यवाही बन्द कर दूंगा। पहले मैं श्री नित्यानन्द स्वामी के संशोधन पर वोट लेता हूं।

प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 जनता की राय जानने के लिये 3 माह के लिये परिचालित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

दूसरा संशोधन श्री कल्पनाथ सिंह जी का है क्या और लोगों ने सपोर्ट किया है?

प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

मूल प्रस्ताव जो परिवहन मन्त्री जी का है वह यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 व 3

2—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

1939 के ऐक्ट, 4 में नयी धारा 43-ए का बढ़ाया जाना

परिवहन प्राधिकरणों को निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

"43-ए(1) राज्य सरकार पथ-परिवहन से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा किसी संभागीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसे सामान्य प्रकार के निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह लोक-हित में आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा परिवहन प्राधिकरण ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि सभी पात्र प्रार्थियों को यात्री-गाड़ी, अनुज्ञा-पत्र (एसे मार्गों या क्षेत्रों के सिवाय जिनके लिए धारा 68-सी के अधीन योजनायें प्रकाशित की गयी हों) या ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र या सार्वजनिक भार वाहन-अनुज्ञा-पत्र देना लोक-हित में है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा तदनुसार निदेश जारी कर सकती है, और तदुपरान्त सभी परिवहन प्राधिकरण और धारा 64 के अधीन संघटित राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण भी तदर्थ सभी आवेदन-पत्रों, अपीलों और पुनरीक्षणों पर (जिसके अन्तर्गत विचाराधीन कोई आवेदन-पत्र, अपील तथा पुनरीक्षण भी ह) इस प्रकार विचार तथा कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो कि—

(क) धारा 47 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गई हो, अर्थात्—

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यात्री-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित;

(बी) सेवा से, जिसकी व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों जिसके अन्तर्गत उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना और ऐसी सुविधा भी है जो व्यवधान-रहित यात्रा से मिले,

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसा लाभ जिसकी सेवा से प्राप्त होने की सम्भावना हो;

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा।"

(2) उपधारा (3) निकाल दी गई हो;

(ख) धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"50—कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिए आवदन-पत्र पर विचार करते समय, इस बात का भी ध्यान रखेगा कि लोकहित में किस सीमा तक अतिरिक्त ठेका-गाड़ियां आवश्यक या वांछनीय हो सकती हैं, और किसी ऐसे अभ्यावेदन पर भी विचार करेगा जो उस सम्भाग में किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा इस आशय से तत्समय दिया जाय या पहिले ही दिया गया हो कि उन ठका-गाड़ियों की संख्या जिनके लिए अनुज्ञा-पत्र पहले दिये जा चुके हैं, सम्भाग या संभाग के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त या आवश्यकता से अधिक हैं।";

(ग) धारा 55 में,—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गई हो, अर्थात्:—

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सार्वजनिक भार-वाहन अनुज्ञा-पत्र के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित,

(बी) सेवा से, जिसकी व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों और ऐसी सेवा की व्यवस्था से जनता को मिलने वाली सुविधा और उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना,

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसी सेवा से मिलन वाल लाभ की सम्भावना,

(डी) ले जाये जाने वाले माल का प्रकार विशेष रूप से किसी भंगुर या शीघ्र नष्ट होने योग्य किसी माल के सन्दर्भ में,

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा।";

(2) उपधारा (2) निकाल दी गयी हो ;

(घ) धारा 57 में—

(1) उपधारा (3) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया हो,

(2) उपधारा (3), (4) और (5) में अभ्यावेदन देने वाले व्यक्तियों के अभिदेश अभ्यावेदन; देने वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण का अभिदेश हो,

(ङ) धारा 64 में,

(1) उपधारा (1) में, खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा गया है—

"(एफ) जो ऐसा स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण हो जिसने अनुज्ञा-पत्र दिये जाने का विरोध किया हो, उसके दिए जाने अथवा तत्सम्बन्धी किसी शर्त से क्षुब्ध हो, या";

(2) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा गया हो—

"स्पष्टीकरण—सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि जब धारा 43-ए के अधीन राज्य सरकार द्वारा अथवा धारा 63-ए की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अधीन कमीशन द्वारा जारी किये गये किसी निदेश के अनुसरण में राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

द्वारा कोई आदेश दिया जाय और कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से इस कारण क्षुब्ध हो कि वह ऐसे निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, तो वह उपधारा (1) के अधीन राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण को एसे आदेश के विरुद्ध, किन्तु इस प्रकार जारी किये गये निदेश के विरुद्ध नहीं, अपील कर सकता है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, 1972 का निरसन

3—मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

अब खंडों पर विचार होगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मैं अपना संशोधन पढ़ता हूं कि खण्ड 2 में प्रस्तावित धारा 43-ए (1) में "जिन्हें वह लोकहित में आवश्यक या इष्टकर समझे—कार्यान्वित करगा" निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर "सभी आवेदकों को बसों के परमिट ट्रकों की भांति दिया जायगा प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के एक ही व्यक्ति को एक ही अनुज्ञा दी जायगी।"

अभी मन्त्री जी ने कहा कि अब हम ऐसी प्रणाली निकालने जा रहे हैं जिससे बसों के अराष्ट्रीयकरण मार्गों पर यह सहूलियत हो जायगी। लेकिन जो संशोधन रखा गया है उसमें यह नहीं है जिससे यह समझा जाये कि किसी प्रकार की सहूलियत परमिटों के लिये मिल जायेगी। इस कारण जो शिकायत मिली ह सरकार से उसका दुरुपयोग ही होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ा है और उन्होंने कहा है कि बस की परमिट और ट्रक की परमिट सभी उपयुक्त आवेदकों को दी जा सकेंगी। वित्त मन्त्री जी न भी अपने भाषण में कुछ उसका उल्लख किया है कि बसों पर यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिये नई बसों को चलान के लिये परमिट व्यवस्था को उदार बनाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, अब जो संशोधन पेश हुआ है उसमें इस प्रकार की उदारता का लेशमात्र अंश नहीं है। आप देखेंगे कि जहां पर 43-ए(1) धारा है उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार पथ-परिवहन से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा किसी संभागीय परिवहन प्राधिकरण का ऐसे सामान्य प्रकार के निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह लोकहित में आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा परिवहन प्राधिकरण ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा। जहां पर ऐसा होगा वहीं पर भ्रष्टाचार का आरम्भ हो जायगा। यहां पर आपने एक और भेड़िया जोड़ दिया है। धारा 47 में आपने कहा है कि पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तगत प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा। इस प्रकार से आपने इसमें भी एक और भेड़िया जोड़ दिया है। यह भेड़िया पुलिस का है। अभी तक परिवहन में व्याप्त भ्रष्टाचारों का सभी माननीय सदस्यों ने ज़िक्र किया और कहा कि वहां कितना अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और पुलिस के जोड़ने से यह और भी बढ़ेगा। पुराने मोटर वहिकिल्स ऐक्ट म पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि वह इसमें हस्तक्षेप कर सके या कहां पर किसको परमिट दी जाय अथवा नहीं।

मान्यवर, जिस प्रकार की सुलभता की चर्चा माननीय वित्त मन्त्री तथा महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषणों में की है उसको और अधिक कठिनाई के रूप में बदल दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

है। इसीलिये संशोधन दिया है कि यह प्रतिबन्ध हो जाय कि परिवार के एक ही व्यक्ति को एक ही अनुज्ञा दी जायगी।

मान्यवर, संशोधन पर बोलते हुये सभी सदस्यों ने बताया है कि भाई-भतीजावाद की मोनोपोली है और जो मालदार व्यक्ति हैं व ही जितनी परमिट्स हैं ले लेते हैं और अपनी बीबी के नाम, बच्चे के नाम और अन्य लोगों के नाम परमिट ले लेंगे और इस प्रकार बहुत से परमिट एक ही व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। इसलिये प्रतिबन्ध जारी हो कि केवल परिवार में एक ही व्यक्ति को परमिट दिया जाय जिससे और लोग भी रोजी-रोटी कमा सकें। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसको अवश्य मान लें।

परिवहन उप मन्त्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर जो संशोधन रक्खा गया है उसका मतलब है कि परमिट खत्म न किया जाय लकिन वह खान्दान में एक ही आदमी को मिल। अगर एक ही आदमी को दिया जाता है तो जिनके पास और भी गाड़ियां हैं उनको नहीं मिल सकेगा और इसका मतलब पूरा नहीं होगा। आपने कहा कि जनहित की बात निकाल दी जाय। अगर वह निकाल दी जाय तो अगर नेशनल इन्टरेस्ट के खिलाफ बात होती है, तो रोका नहीं जा सकता है। इसलिये जो आपने संशोधन दिया है उसको मानने से मजबूर हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्री हरिनाथ तिवारी ने अपने विचार इस विषय पर व्यक्त कर दिये हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज इतने महत्व के विधेयक रखे गये हैं जब राज्य सभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि अपोजीशन के लोग नहीं रह सकेंगे। इनको पढ़ने तक का अवसर नहीं मिला है। यह तो ज्ञात है कि विरोधी पक्ष के लोगों की किसी भावना का आदर न करने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया है। जितने भी विधेयक आज आये हैं सभी बड़े महत्व के हैं। यह जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे अवसर पर लाये गये हैं जब हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकें। मुझे किसी को भी देखने का अवसर नहीं मिला है।

अभी श्री हरिनाथ तिवारी ने जो कुछ कहा उसकी पुष्टि में दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारे उत्तर से माननीय सदस्य कह सकते हैं कि हमने पुरःस्थापित किया था। अगर तर्क से बात की जाय तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जब विधान सभा आने वाली थी तो आप दो-चार दिन पहले अध्यादेश ले आये। तो इससे यह पता लग गया कि यह सरकार जन-प्रतिनिधियों का कितना आदर करती है। लेकिन जो कुछ भी हो जो विधेयक हमारे सामने आया है उस पर विचार होना चाहिये। दो चीजें कही गई हैं। डिस्क्रेशन का अधिकार अधिकारियों के हाथ म नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि सबसे बड़ा अन्याय का रास्ता वहीं खुलता है जब विवेक का अधिकार होता हैं। यह जनहित में होगा। इसकी भी डिफिनेशन दे दी जानी चाहिये। मान्यवर, आप जानते हैं कि इस सदन में माननीय मन्त्री जी को अपनी गलती को छिपाने का सबसे बड़ा आधार उससे मिल जाता है। मैं कहना नहीं चाहता हूं और उचित भी नहीं समझता हूं क्योंकि यह पब्लिक हित में या जनहित में हैं। अनेकों बार यह प्रश्न आया है और बिहार के अध्यक्ष ने रूलिंग दी कि हम देखेंगे कि जनहित में है या नहीं। अगर यह डिस्क्रेशन मिनिस्टर को रहेगा तो सरकार अपना ऐब छिपाने के लिय कह देगी कि वह जनहित में है। हमने देखा है कि कम्पटेटिव इक्जामिनेशन में लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास हो जाते हैं लेकिन इण्टरव्यू में चूंकि डिस्क्रेशन होता है, रह जाते हैं और वहां भाई-वाद और भतीजाबाद चल जाता है। लखपती, करोड़पति हो गये जिन्होंने परमिट पा लिया। तो आर्थिक दृष्टिकोण भी सामन रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का गड़बड़ न हो ऐसा आधार कानून में रहे और वह हमारा मार्ग-दर्शन भी कर सके।

दूसरी बात इसमें यह भी चाहिये कि एक ही हाथ में कन्सेन्ट्रेशन हो, व्यवसाय का केन्द्रीयकरण न हो। तो यह भी जोड़ दिया जाना चाहिये कि एक ही व्यक्ति को परमिट न मिले जैसा कि झांसी, उरई, बुलन्दशहर और गोरखपुर रीजन में बताया जाता है। कुछ बातें मैं भी जानता हूं। इस विधान सभा से पहले बहुत से प्रश्न उठाय गये जिसम हमारे मन्त्रीगण या मन्त्रीगण के मातहत रहकर अथारिटीज किया करते हैं। एक-एक आदमी को चार-चार, आठ-आठ और 10-10 परमिट दे दिये गये। यह बहुत पुरानी बात है कि इतने रुपय ले लो और हमको पांच परमिट दे दो। चाहे यह सरकार करे या वह। यह होता रहा है। मैं एक सिद्धान्त की बात बताता हूं। बिल्कुल बदाग हमारी सरकार है, यह नहीं कहा जा सकता। लकिन इस समय आपके लिय उचित नहीं है। इतना बहुमत आपके पास है लेकिन फिर भी कोई कन्ट्रोल नहीं। आज आप सदन में इतना भी नहीं कर सकत कि कोरम मेन्टेन हो। चाहे पार्लियामेंट हो या विधान सभा। पार्लियामेंट भी तीन दिन स्थगित करनी पड़ी। आज यहां भी हो गया है कि विरोधी पक्ष तो कोरम कम्प्लीट करे, और इनके लिये वह बात नहीं है। ऐसी मनोवृत्ति जिस सरकार में हो, वह जनहित का क्या काम कर सकती है। इसीलिये यह 'जनहित' और 'विवेक' शब्दों को निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आबिद अली—

जैसा कि मैं पहले प्रार्थना कर चुका हूं, सरकार असमर्थ है आपके संशोधन को मानने के लिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रस्तावित धारा 43-ए(1)में,"जिन्हें वह लोकहित में आवश्यक या इष्टकर समझे—कार्यान्वित करेगा", निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर "सभी आवेदकों को बसों के परमिट ट्रकों की भांति दिया जायगा, प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के एक ही व्यक्ति को एक ही अनुज्ञा दी जायगी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

*श्री हरिनाथ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में प्रस्तावित धारा 43-ए (2) (क) में उपधारा (3) को जोड़ा रखा जाय और उपखंड (2) निकाल किया जाय।

मान्यवर, इसमें यह देखें कि धारा 2 क्या हैं—

(2) "A Regonal Transport Authority shall refuse to grant a stage carriage permit if it proves from any timetable furnished that the provisions of this Act ralating to the speed at which vehicles may be driven are likely to be contravened :

Provided that before such refusal an opportunity shall be given to the applicant to amend the time table so as to confirm to the said provisions.

(3) A Regional Transport Authority may, having regard to the matters, mentioned in Sub-Section (1), limit the number of stage carriage generally or any specified type for which stage carriage permits may be granted in the region or in any specified area or in specified route with the region."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी बता चुके हैं कि हम परमिट को सुलभ करना चाहते हैं और उसके लिये ही यह बिल लाये हैं । जब उनकी नियत यह है तो उसी दृष्टि से मैंने अपना यह संशोधन रखा है । इसमें जो धारा 3 को निकालने के लिये कहा गया है यह सही नहीं है । अतः आशा है मंत्री जी मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

श्री आबिद अली—

मान्यवर, जब हमने परमिट फ्री कर दिये तो धारा 3 के रहने की जरूरत ही नहीं रह गयी । यह तो परमिट फ्री करने के लिये ही किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

तो आपको क्या यह संशोधन स्वीकार नहीं है?

श्री आबिद अली—

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 में प्रस्तावित धारा 43-ए (2) (क) में उपधारा (3) को जोड़ा रखा जाय और उपखंड (2) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में प्रस्तावित धारा 43-ए (2) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में 'गयी हो' के स्थान पर 'जाय' रखा जाय तथा चौथी पंक्ति में 'लोकहित' निकाला जाय।

मान्यवर, आप (ख) को पढ़कर देखें, 'गयी हो' भाषा की दृष्टि से ठीक नहीं है । इसलिये यह संशोधन रखा है । जहां तक दूसरा 'लोकहित' वाला है उसको अगर नहीं निकाला जायेगा तो इस शब्द के रहते बड़ी मनमानी होगी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा जैसा माधव बाबू ने अभी बताया कि जहां डिस्क्रीशन होता है वहां करप्शन शुरू हो जाता है । इसलिये आप लोकहित न रखकर उसके स्थान पर कोई और रीजन्स रख दें तो मुझे आपत्ति न होगी । लोकहित उचित शब्द प्रतीत नहीं होता है । जैसे अगर किसी के पास स्टेज कैरज है, लाइसेंस है, वह चला सकता है और उसको जरूरत न तो उसमें लोकहित नहीं देखना चाहिये, उसे परमिट दे देना चाहिये । फिर वहां लोकहित न देखा जाये । यह ऐसी चीज है जिसमें सभी चीजें समा सकती हैं । अतः इन दोनों संशोधनों को मंत्री जी को अवश्य मान लेना चाहिये इसमें एक तो भाषा का ही है।

श्री आबिद अली—

ये जो संशोधन रखे गये हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

भाषा वाला संशोधन तो जरूर ही मानना चाहिये। मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं जो भाषा के विद्वान हैं, वह स्वयं इसे बता दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह भाषा का अधिकार तो हमारा है। अगर भाषा की गड़बड़ी है तो मैं खुद ठीक कर दूंगा। मेरा दफ्तर कर देगा। अब मैं संशोधन के दूसरे भाग पर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 में प्रस्तावित धारा 43-ए (2) के भाग (ख) की चौथी पंक्ति में 'लोकहित' निकाला जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड (1), प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री आबिद अली—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

इस विधेयक पर श्री नित्यानन्द स्वामी बोल चुके हैं। सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, सुरेन्द्र विक्रम, राम बिलास पांडेय और हिम्मत सिंह हैं नहीं। अब श्री हरिनाथ तिवारी बोलेंगे।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट दे दे और जिसे विधयक की परिधि बढ़ान का भी अधिकार हो । मान्यवर, नित्यानन्द जी ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है और वह विषय जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन में रखा है, पहले महापालिका में इसक लिय 1 अधिकारी और दो असससर्स हुआ करत थ, अब इसे घटाकर कवल अधिकारी पर छोड़ दिया गया है। जो बात इन्होंने एक अफसर के ऊपर छोड़ रखी है वह भी उचित नहीं है । यह तानाशाही मनोवृत्ति का परिचायक होगा । वह जो चाहेगा वह करेगा । दो आदमी जो साथ में रखे हुये थे, उनके साथ रहने से तो न्याय मिल सकता था । दूसरे जो प्रवर समिति के लिये रखा गया है यही कारण है कि बार-बार संशोधन आते हैं । अगर यह सही रूप में सेलेक्ट कमेटी के सामने आकर अच्छी तरह से उन पर विचार किया जाय तो बार-बार संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं पड़गी । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य नित्यानन्द जी का आभारी हूं और आपने जो सुझाव दिया है, मेरे विचार से प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो उद्देश्य और कारण इस विधेयक में रखे गये हैं, यदि उन पर वह गम्भीरता से विचार करें तो उन्हे अहसास होगा कि इसके जल्दी पारित करने की कितनी आवश्यकता है । जो विकलांग और वीरगति प्राप्त सैनिक हैं, उनको रियायती दर पर भूमि या भवन देना, इसके अतिरिक्त और संस्थाओं को उचित था या रियायती दर पर भूमि देना, इसके अतिरिक्त और अनेक विशेष कारणों से इस अधिनियम को यहां रखा है । जहां तक उन्होंने शंका प्रकट की है न्यायाधिकरण के संबंध में । इसमें तीन व्यक्ति होते थे और दो व्यक्ति असर होत थ । लकिन अगर प्रोसीडिंग देखी जाय तो बहुत कम हाजिर हो पात थ जिससे कार्य पीछे पड़ा रहता था । इसलिये यह निश्चय किया गया कि न्यायाधिकरण के स्थान पर एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया जाय जो सारे समय इन्हीं कार्यों को देखे इससे भूमि अर्जन का कार्य जल्दी पूरा हो सकेगा ।

इसके अतिरिक्त जो उन्होंने प्राधिकरण के संबंध में शंका प्रकट की है उनको मेरे विचार से जानकारी नहीं है । जहां हम भारत सरकार से आवास योजना क लिये सहायता प्राप्त करते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र मकानों की कमी पूरी की जाय वहां अनेकों कठिनाइयां उपस्थित होती रहती हैं। यह कठिनाई भूमि अर्जन में होती है । कानपुर की नगरमहापालिका ने एक करोड़ रुपया लगा कर एक भूमि अर्जित करने का प्रयास किया ताकि जितनी जल्दी हो सके कालोनी बनायी जाय । उसका मुआविजा देने का समय पांच वर्ष का था । शासन ने उसका कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाया । लकिन भूमि के मालिक न्यायालय में चले गय और उन्होंने उस पर स्टे ल लिया । इससे बराबर कठिनाइयां उपस्थित होती रहती हैं । इस तरह से करोड़ों रुपया इन संस्थाओं का लगा है न कालोनी बन पा रही है और न आवास की व्यवस्था हो पा रही है । इस प्रकार से प्रगति रुक जाती है । इस कारण से उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी जिससे उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाय इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। नगरमहापालिका अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक समिति का निर्माण किया है। उसमें संशोधन आयेगा उसमें कोई विशेष संशोधन की बात रख सकते हैं । किन्तु आज जो अध्यादेश निकाले गये थे उनको बिल के रूप में लाना आवश्यक है इसलिये आप इस विधेयक को कृपया शीघ्र पारित करें ।

---

*वक्ता ने भाषण क्या पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय कोरम नहीं है। कृपा कर घंटी बजाइये।

(घंटी बजायी गयी।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरी आप से प्रार्थना है कि पार्लियामेंट की परम्परा मानी जाय चार-पांच बार मौका देने के बाद बन्द कर देते हैं या तो कोरम न रखें तो बन्द कर दीजिये या जाने दीजिये कोई कोरम की जरूरत नहीं है। हम लोग एतराज नहीं करेंगे पास होने दीजिये, विधायक का तो रोब उठ चुका, न वहां रक्षा हो पायेगी न यहां रक्षा हो पायेगी।

यह कोरम की चिन्ता बिलकुल नहीं करते और प्रजातंत्र को धूल में मिला रहे हैं। बिना कोरम के चला जाय हमको कोई एतराज नहीं है। आपका ध्यान तक उन्होंने आकर्षित नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खुद अधिकार है। जब हम देखेंगे कि कोरम नहीं है तो वोट नहीं लूंगा। मैंने वार्न कर दिया था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपकी वार्निंग का यह हाल है।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये तो घंटी बजती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आज अनेक परिस्थितियों के कारण कोरम नहीं है, अपने-अपने काम में विधायक जुटे हुए हैं लेकिन बड़े महत्व के बिल भी एजेंडे पर आज रख दिये गये हैं। कोरम पूरा हो नहीं रहा है। पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। कोरम की कमी को देखते हुए अच्छा हो कि इनको दूसरे दिन ले लिया जाय।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

इलेक्शन के दिन सारे काम बन्द हो जाते हैं। विरोधी पक्ष का अगर आदर नहीं किया जायगा और सरकार जो दलबदल के सहारे बनी हुई है वह विरोधी पक्ष का आदर नहीं करेगी तो फिर विरोधी पक्ष को यहां रखने की जरूरत क्या है। नगर महापालिका वाला जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। खंड 3 में सारी पावर्स राज्य सरकार ने ले ली हैं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि किसी लेजिस्लेशन में डिस्क्रीशनरी पावर्स राज्य सरकार को नही रखनी चाहिये लेकिन इस विधेयक में रियायती मूल्य पर जमीन देने का अधिकार राज्य सरकार को अन्तिम रूप से होगा और हाई कोर्ट में वह निर्णय चैलेंज नहीं होगा। इस विधेयक के जरिये से बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिये इतने महत्वपूर्ण विधेयक को आज मुल्तवी किया जाय और 3 तारीख के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोरम चाहूंगा।

श्री धर्मदत्त वैध—

मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा संशोधन है। मुझे उत्तर का अवसर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

कोई बोला तो है नहीं। आप बोलें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक बात तो यह खा गये। मैंने यह कहा था कि जो न्यायाधिकरण रख रहे हैं तो 3 में से एक न्यायाधीश रख दें। एक बात का उत्तर नहीं दिया यह जो-जो पिछली कार्यवाही न्यायालय ने अवैध करार दे दी थी उन सब कार्यवाहियों का आप वैधीकरण कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है। कार्यवाही के अन्दर वैधानिकता हो सकती है।

वैधानिकता और अवैधानिकता के आधार पर हाई कोर्ट या किसी न्यायालय ने उसको अवैध ठहरा दिया। ये कह रहे हैं कि जो हमारी कार्यवाही होगी वह सबकी सब अवैध करार दे दी जायेगी और खुली हुई आंख से मक्खी नहीं खा सकते। आप हमें समझा दें आप ही कानून बना रहे हैं, आप ही कानून दां हैं.....

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं बोल रहा हूं आप बैठें।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक संशोधन आया। मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया। उसके उद्देश्य और कारणों में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने पूछा कि किन-किन परिस्थितियों में इसे आप ला रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि इसकी एक सब-कमेटी बना दी गई है आप उस कमेटी में अपनी बात रख सकते हैं। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब किसी संशोधन पर मंत्रीजी का जवाब हो जाय तो फिर भी आप संशोधनकर्ता को जवाब का उत्तर देने का समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कोई नहीं। मैं इस पर राय ले लेता हूं....।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

किस पर राय ले रहे हैं श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष—

आपके संशोधन पर ....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने एक संशोधन रखा। उसके ऊपर जो भी विचार हुये कम या ज्यादा, इसका प्रश्न नहीं किन्तु जो चर्चा हुयी उसमें मुझे उत्तर देने का अधिकार है?

श्री अध्यक्ष—

चर्चा नहीं, आपके संशोधन का उत्तर उन्होंने दिया। उनके उत्तर के बाद आप कोई उत्तर नहीं दे सकते....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जो व्यवस्था आप दे देंगे वह तो 10-20 सालों तक बनी रहेगी । इसलिये मैं पूछ रहा हूं, मैं तो एक सेकिंड में बैठ जाऊंगा, कि मान लीजिये एक सदस्य ने संशोधन रखा उसके ऊपर सदन में विचार हुआ कम हुआ या ज्यादा इसका प्रश्न नहीं है. . . .

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आपके संशोधन का उत्तर दिया. . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

फिर भी हमारा अधिकार सीमित नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

उनके उत्तर के बाद आपको उत्तर देने का अधिकार नहीं है। अब मैं इसके ऊपर सदन की राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने हेतु 3 माह के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

दूसरा श्री हरिनाथ तिवारी का है उसमें भी राय ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट दे दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, हमारे सदन की एक कार्य-मंत्रणा समिति बनी हुई है। श्रीमन्, पिछली कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में मैं समझता हूं कि यह निर्णय हुआ था कि 1 तारीख को एक से अधिक विधेयक नहीं आने चाहिये किन्तु आज 5 विधेयक कार्यक्रम में रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

कभी कार्य-मंत्रणा समिति ने ऐसा कहा होगा कि एक दिन में 5 विधेयकों पर विचार हो जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस रोज प्रेजाइड नहीं कर रहा था । मैं उसको मंगाये लेता हूं जो कार्यवाही है।

श्री राजमंगल पांडेय--

यह भी कार्य-मंत्रणा समिति के माध्यम से ही आया है, अब उसके अपोजीशन का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष--

उस रोज विधेयक लिये जायेंगे, यह सूचना मुझे थी मैं मौजूद नहीं था । अब वह कह रहे हैं कि एक ही लिया जायेगा, ऐसा प्रस्ताव पास हुआ था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

कुछ लोगों की राय एक की थी, हम जोर दे रहे थे कि एक ही आना चाहिये । तिवारी जी ने कहा कि दो हो जायं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

यह तो दूसरा अधिनियम है और सदन ने स्वीकार कर लिया कि इस पर विचार किया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक पहलू यह भी है कि क्या यह सरकार गिलोटिन करना चाहती है ? हमको गैग करना चाहती है अपने बहुमत के आधार पर ? पांडेय जी को क्या तकलीफ हो रही है अगर हम यह कहना चाहते हैं कि अधिक लोगों को विचार करने का अवसर मिले ? हम तो सहयोग करते हैं ?

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)--

इस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाना जब सदन ने स्वीकार कर लिया तो उसका कहां स्थान है ?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अमुक बात कार्य-मंत्रणा समिति ने पारित की....

श्री त्रिवेणी राय--

तो माननीय सदस्य को पहले उठाना चाहिये था जब वह सदन में मौजूद थे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर हम नहीं थे कार्य-मंत्रणा समिति में और जो थे माननीय सदस्य वह सत्य का ज्ञान करा रहे हैं तो क्या गजब हो गया ? आपने तो मान लिया....

श्री अध्यक्ष--

मैंने मान लिया कि अगर यह तय हुआ था कि एक ही लिया जाय तो मैं इसको नहीं लूंगा । फिर आगे चलेगा नहीं । लेकिन अगर एक का नहीं हुआ है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर डायरेक्ट निगेशन नहीं है कार्य-मंत्रणा समिति का तो भी आप विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मुझे निवेदन करना है कि यह अधिनियम मेरे विचार से 29 तारीख को प्रस्तावित हुआ था और माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिला कि उस पर विचार कर अपने संशोधन दें । यह कहना कि समय नहीं मिला, यह युक्तिसंगत नहीं है ।

जहां तक कार्य-मंत्रणा समिति का प्रश्न है उसकी कार्यवाही आप अवश्य देख लें, लेकिन जहांतक माननीय सदस्य ने कहा कि एक या उससे अधिक विधेयक लेने की बात कार्य-मंत्रणा समिति में की गई, तो यह तो दूसरा ही अधिनियम हमारे सामने आया है । इसके अतिरिक्त परम्परा यह है कि जब सदन ने स्वीकृति देदी और उस पर विचार प्रारम्भ हो गया तो वह जारी रहना चाहिये । अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाना था तो उसको इस समय लाना अनुचित है क्योंकि इस पर सदन की सहमति हो गयी और उस पर विचार करना स्वीकार कर लिया गया अब उस पर विचार न किया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

दो बातें कहना चाहता हूं । साधारण नियम यह है कि जब इलेक्शन होता है तो उससे संबंधित व्यक्तियों की छुट्टी हो जाती है। अगर जरूरी काम होता है तो हलका काम कर दिया जाता है क्योंकि समझा जाता है कि वोट देने वाले का चित्त दूसरी जगह लगा होगा। आज एक चुनाव था जिसमें संबंधित सदस्यों की छुट्टी नहीं हुई तो कुछ भी सहूलियत मिलनी चाहिये । हमने उदारता दिखलाई कि आज आवश्यक विधायी कार्य को निबटाने में अपना सहयोग दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । सदन की सहमति हो गयी तो क्या बेजा हो गया । वह सहमति आगे के लिये मान ली जाय । यह फिर ले लिया जायगा। कौन सी आफत आ जायेगी। बजट को जल्दी नहीं करना है । यह किसी और दिन हो जायंगे । लेकिन हमको कहने का मौका मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति ने यह नियम बनाया कि एक दिन में एक से अधिक विधेयक न लिया जाय तो यह सामान्य दिनों के लिये है । लेकिन आज शनिवार को सदन की विशेष बैठक हो रही है । इसमें क्वेश्चन आवर भी नहीं लिया । इसलिये बजाय दो के 4/5 विधेयक आ गये मैं समझता हूं कि इसलिये आये हैं कि सदन उन पर विचार करना चाहता है । वैसे आप कार्य-मंत्रणा समिति की कार्यवाही देख सकते हैं ।

श्री रूपनाथसिंह यादव--

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक 30 मार्च को पुरःस्थापित किया गया है इसलिये नियमों के मुताबिक भी यह 3 दिन के बाद आ सकता है । हमारी कार्य संचालन नियमावली के नियम 128 का परन्तुक इस प्रकार है कि "किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गई हों....",

श्री अध्यक्ष--

सवाल इस बात का है कि यह तय हो चुका था कि एक ही विधेयक लिया जाय । कार्य-मंत्रणा समिति वह समिति है जिसमें सब दलों के सचेतक बैठते हैं । जब उसने तय कर दिया तो इसके माने हैं कि सरकार ने उसको मान लिया वह बहुमत में होती है । ऐसा नहीं है कि वह अल्पमत में हो । जब वायदा कर लिया है कि एक दिन में एक ही आ सकता है । तो दूसरा नहीं आ सकता है । इसलिये मैंने कहा कि मैं कार्यवाही मंगाये लेता हूं । हमारे सेक्रेटरी का कहना है कि यह बात नहीं थी कि एक ही लिया जाय बल्कि यह बात थी कि पहली, तीसरी और सात अप्रैल में जितना विधायी कार्य है वह पूरा हो जाय। उन्होंने पहली तारीख को ही सब रख दिये । इनको तीन दिन में पूरा करना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आज ही सब लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--

समय है तो ले सकते हैं । यह तय हुआ कि जितने विधेयक हैं वे 3 दिन में पारित किये जायं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ठीक है 3 दिन में पारित किये जायं लेकिन कौन विधेयक किस दिन लिया जाय इसमें आपका विवेक काम करेगा। दूसरे दिन बड़े विधेयक लिये जायं नहीं तो हमारे साथ घोर अन्याय होगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो सदन की मरजी पर है जितना चाहे ले सकता है । यह आपने तय कर दिया 3 दिनों में यह सब पारित किये जायं । एक की बात नहीं है इसलिये इसको लेना ही होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि मोटर वेहिकिल्स विधेयक तो ले लिया गया है लेकिन कोई दूसरा विधेयक न लिया जाय । समय-समय पर यह जानकारी मैं आपकी नोटिस में लाता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह गलत है कि एक दिन एक ही विधेयक पारित किया जाय । यह तय नहीं हुआ था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस तरह के इंटरप्रेटेशन में जाकर आप हमें निराश कर देते हैं । एक तो ले लिया गया है । पारित का प्रश्न कहां है? पारित दूसरे दिन करेंगे । आप यह देखें कि न्याय किस में है। क्या आप इनको मौका दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मेरे डिसीजन लेने के बाद आप बहस नहीं कर सकते हैं । तय यह हुआ था कि 1,3 व 7 अप्रैल को यह कार्य होगा । अब दूसरा विधेयक ले लिया गया है और उस पर चर्चा होनी तय हो गयी है। मैं उसको अब वापस नहीं करूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं उसको वापस करने के लिये नहीं कहता हूं । मैं तो यह कहता हूं कि विचार स्थगित किया जाय और इस पर किसी दूसरे दिन विचार हो ।

श्री अध्यक्ष--

अब विचार स्थगित नहीं होगा, विचार किया जायेगा । बाद में मैं संशोधन लूंगा ।

खण्ड 2

धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,की धारा 2 में खंड (54) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्--

(54) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है,

श्री अध्यक्ष—

खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

3—मूल अधिनियम की धारा 129 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात् धारा 129 का संशोधन

"(5) उपधारा (5-क) और (5-ख) में यथाव्यवस्थित के सिवाय, महापालिका की कोई अचल संपत्ति उस दशा के सिवा जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तांतरित की जाय, उसके बाजार मूल्य से कम धनराशि पर न तो बेची जायेगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायगा—

(क) कोई परिनियत निकाय;

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, औद्यानिकी या पशु-पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य-पालन तथा कुक्कुट-पालन भी है, से संबद्ध प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित न हो) या भवन से, इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने के कारण निष्पादित हो और जिसके पास नगर में कोई अन्य भूमि या भवन हो; या

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1861 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्ति प्रयोजन के लिये (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म या उसका प्रचार नहीं है और जिसमें धर्म, जाति या जन्म-स्थान के आधार पर लाभार्थियों के संबंध में विभेद नहीं है);

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तांतरण करने की दशा में इस प्रकार दी गई किसी रियायत का मूल्य—

(1) पट्टे की दशा में, वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,

(2) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार मूल्य के आधे या दस हजार रुपये से, इसमें जो भी कम हो अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के संबंध में अथवा इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तांतरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नहीं तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(5-क)) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी ऋण से महापालिका द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखंड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार महापालिका द्वारा बेंचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तांतरित किया जा सकता है।

(5-ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुये महापालिका का कोई गृह या गृह-स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी

ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके संबंध में विहित प्राधिकारी ने इंडियन सोल्जर्स (लिटिगेशंस) ऐक्ट, 1925 के अधीन इस बात का प्रमाण-पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुआ है अथवा यदि उक्त विहित प्राधिकारी ने यह प्रमाण-पत्र दिया हो कि शत्रु की कार्यवाही से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष में जो उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तों पर जैसा कि महापालिका उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तांतरित किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल उपस्थित नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के अन्त में निम्न (5-ग) जोड़ दिया जाय ।

'(5–ग) नगर महापालिका द्वारा आवास योजनाओं के अन्तर्गत बने गृह या भू-खंड को हानि लाभ रहित आधार पर हस्तान्तरण किया जायेगा ।'

अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के लिये यह खंड जोड़ा जा रहा है जो कि बहुत गरीब हैं और जो मकान बनाने में पैसा नहीं लगा सकते हैं बहुत से लोग हैं जैसे आर्मी के या दूसरी संस्थाओं के जिन्हें घर बनाने की आवश्यकता है ।

(इस समय 3 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

यह खंड इसीलिये जोड़ा जा रहा है ताकि गरीब लोगों को हानि और लाभ रहित बेसिस पर मकानों की व्यवस्था हो सके।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले हम आपका अभाव अनुभव कर रहे थे इसलिये कि सरकारी पक्ष हमारी गर्दन नाप रहा था । मैं कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं । खैर आप आ गये अब हमारी रक्षा हो सकेगी, ऐसा हमारा विश्वास है ।

मान्यवर, यह जो संशोधन है कि 'नगरमहापालिका द्वारा आवास योजनाओं के अन्तर्गत बने गृह या भू-खंड को हानि लाभ रहित आधार पर हस्तान्तरण किया जायगा ।' बड़ा सामयिक संशोधन है। हम सभी जानते हैं कि आज आवास की कितनी जटिल समस्या हो गयी है । लगभग 7 करोड़ की आवास की कमी है देहातों में और लगभग ढ़ाई करोड़ की कमी है नगरों में । वहां स्लम का भी प्रश्न है । जहां तक आवास का प्रश्न है, इस पर अनेक प्रकार के विचार आये थे । तीसरे तबके का जो समाज है, जिसके पास मकान बनाने के लिये पैसा नहीं है, उसके साथ कामर्शियल व्यवहार नहीं होना चाहिये । उसके साथ लाभ लेने की बात नहीं होनी चाहिये । तमाम हिन्दुस्तान के हाउसिंग मिनिस्टर्स और कारपोरेशंस की बैठक हुयी थी और उसमें यह निर्णय हुआ था कि तीसरे तबके के लोगों को मकान बनाकर दिये जायं क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर रुपया देंगे तो वे उसको खा जायेंगे या अन्यत्र प्रयोग कर लेंगे और समस्या वहीं की वहीं रह जायेगी । इसलिये उन्होंने निर्णय लिया कि मकान बनाकर दिये जायं । शर्त यह भी है कि मकान बनाकर दिये जायं और कोई लाभ न लिया जाय। अगर पांच पैसे का मकान बने तो पांच पैसे में ही उसको दे दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी उन्होंने सोचा कि अगर इस रुपये पर सूद भी देना पड़ता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है तो वह भी उसमें सम्मिलित न किया जाय। तीसरे तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये उन्होंने यह सब कुछ सोचा । इस सबको मस्तिष्क में रखकर आप इस पर विचार करें । केंद्रीय सरकार के आवास मंत्री और विभिन्न सरकारों के आवास मंत्रियों ने जो अपनी राय दी थी उसी के आधार पर यह संशोधन रखा गया है और यह गरीबों के हित के लिये है सरकार इसको स्वीकार कर ले ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

इस संशोधन में गरीबों के लिये आवास की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है । आपके नगर महापालिका अधिनियम में बहुत सी खामियां थीं और मुझे आशा थी कि इस अधिनियम में पूरी तरह से तरमीम करके कोई ऐसा कानून बनायेंगे जो कि उन लोगों के लिये लाभकारी साबित होगा जो दबे हुये हैं । लेकिन इसमें कोई भी व्यवस्था हरिजनों और गरीबों के लिये नहीं है । संविधान में भी व्यवस्था है कि हरिजन और गरीब जो रिक्शा-खांगे वाले हैं और बेघर हैं उनके लिये आवास की व्यवस्था की जाय । लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि जो हरिजन हैं, सफाई मजदूर हैं और अन्य गरीब लोग हैं उनके लिये आवास की निःशुल्क व्यवस्था होगी । इसलिये मैं खंड 3 का विरोध करता हूं और माननीय हरिनाथ तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

खंड 3 की उपधारा 5 में इसका उल्लेख है, इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के अन्त में 'निम्न (5-ग) जोड़ दिया जाय' (5-ग) नगरमहापालिका द्वारा आवास योजनाओं के अन्तर्गत बने गृह या भू-खंड को हानि लाभ रहित आधार पर हस्तान्तरण किया जायेगा ।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4

4—मूल अधिनियम की धारा 348 में— धारा 348 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

'(कक) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिये समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी, जिसे विकास समिति, समय-समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अभिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी:—

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी' ;

(ख) खंड (ख) में, शब्द 'कोई भी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द 'धारा 373 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर' रख दिये जायें;

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात्—

'(3) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके लिये निष्पादन की समय-सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर महापालिका को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांक के 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ले । तदुपरान्त महापालिका तदनुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी और यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।"

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, खंड 4(ख) में एक छोटा सा संशोधन है । प्रस्तुत विधेयक के खंड 4 के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (1) (ख) में धारा '373' के स्थान पर '363' पढ़ा जाय ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (1) (ख) में धारा '373' के स्थान पर '363' पढ़ा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 5–14

धारा 349 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 349 में, शब्द 'तो वह मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है' के स्थान पर शब्द 'तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है' रख दिये जायें ।

धारा 350 संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 350 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द 'तो वह मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है' के स्थान पर शब्द 'तो

वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है।' रख दिये जायें।

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

'(1—क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिये समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी जिसे विकास समिति, समय-समय पर संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने क पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय-सीमा यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी";

(3) उपधारा (4) में, शब्द 'धारा 363 के अधीन किसी योजना के विज्ञापित होने के पश्चात्' के स्थान पर शब्द 'धारा 363 के अधीन ऐसी योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर" रख दिये जायं।

धारा 365 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 365 में, उपधारा (4) में—

(1) शब्द 'इस अध्याय के अधीन' तथा शब्द 'अधिकृत विकास योजना' के बीच में शब्द 'किसी भावी सड़क योजना या किसी नगर प्रसार योजना से भिन्न' बढ़ा दिये जायें और सदैव से बढ़ाये गय समझे जायें; और

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार योजना से भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के संबंध में जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानो वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द तथा अंक 'धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने

यू०पी० ऐक्ट संख्या 8, 1919
यू० पी० ऐक्ट संख्या 6, 1945

के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर' के स्थान पर शब्द तथा अंक '31 दिसम्बर, 1973 को या उसके पूर्व' रखे गये हों;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के संबंध में इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द 'पांच वर्ष' के स्थान पर शब्द 'दस वर्ष' रखे गये हों :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, पांच वर्ष या दस वर्ष की उक्त अवधि या, जैसी भी दशा हो, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है।"

धारा 373 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 373 में—

(1) उपधारा (1) में शब्द 'एक सभापति तथा दो असेसरों से मिलकर बनेगा' के स्थान पर शब्द 'एक सदस्य का होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायगा' रख दिये जायें,

(2) उपधारा (2) में शब्द 'सभापति' के स्थान पर शब्द 'उक्त सदस्य' रख दिये जायें और उसका प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय ;

(3) उपधारा (3) में शब्द 'न्यायाधिकरण के सभापति तथा असेसर' के स्थान पर शब्द 'उक्त सदस्य' और शब्द 'किये जायेंगे' के स्थान पर शब्द 'किया जायगा' रख दिये जायं;

(4) उपधारा (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्—

'(4) यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिये इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी, और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय, जारी रखी जा सकती है।

(5) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिलकर बने) न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई कार्यवाही, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् न्यायाधिकरण के समक्ष जिसमें उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर न्यायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।'

धारा 374 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 374 में शब्द 'सभापति तथा, प्रत्येक असेसर' के स्थान पर शब्द 'पीठासीन अधिकारी' रख दिये जायं।

10—मूल अधिनियम की धारा 375 में— धारा 375 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में शब्द 'न्यायाधिकरण का सभापति' के स्थान पर शब्द 'न्यायाधिकरण' रख दिया जाय,

(2) उपधारा (2) में शब्द 'सभापति द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से' के स्थान पर शब्द 'राज्य सरकार द्वारा' रख दिये जायें।

11—मूल अधिनियम की धारा 378 निकाल दी जाय। धारा 378 का निकाला जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 381 में— धारा 381 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द 'न्यायाधिकरण का सभापति' के स्थान पर शब्द 'न्यायाधिकरण' रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय; अर्थात्—

'(5) (1) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(2) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उक्त प्रमाण-पत्र दिये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अपील के लिये विशेष अनुमति के निमित्त हाई कोर्ट को प्रार्थना-पत्र उक्त प्रमाण-पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(5-क) उपधारा (5) के अधीन अपील या प्रार्थना-पत्र के संबंध में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।'

13—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 365 या धारा 577 के खंड (ग) में अभिदिष्ट विकास योजना के लिये भूमि या उसमें स्वत्व का अर्जन करने के संबंध में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना, की गयी कार्यवाही, दी गयी आज्ञा या दिया गया अभिनिर्णय अथवा लिया गया कब्जा भी है, वैध समझी जायगी और सदैव से इस प्रकार वैध होगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे और ऐसी अग्रेतर कार्यवाहियां यदि कोई हों, जो अपेक्षित हो, तदनुसार की जा सकती है : वैधीकरण

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी भूमि या भूमि में स्वत्व की दशा में जो ऐसी विकास योजना का विषय हो, मूल अधिनियम (एतद्द्वारा यथासंशोधित) के

अध्याय 14 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण, उक्त अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) यह समाधान हो जाने पर, कि भूमि, मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व था, की धारा 365 की उपधारा (4) में या उसके अधीन, यथास्थिति, निर्दिष्ट अवधि या बढ़ायी गयी अवधि, की समाप्ति के पश्चात्, सद्भावना से और प्रतिफल के लिये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति से अर्जित की गयी है, सभी सारवान परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, हस्तांतरिती को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर दे सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ख) यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूमि पर उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत खंड (क) में अभिदिष्ट कोई हस्तांतरिती भी है, कोई सुधार किये गये हैं, उसे अतिरिक्त प्रतिकर देगा, जो ऐसे सुधारों की लागत के बराबर होगा।

1894 का ऐक्ट संख्या 1

स्पष्टीकरण—पद 'हितबद्ध व्यक्ति' का वही अर्थ होगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1972 का निरसन

14—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक,1972)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शेष विधेयकों पर विचार स्थगित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुपस्थिति में काफी बहस हुई थी और माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि 2 विधेयक के पास होने के बाद आगे कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आपसे इस बारे में प्रातः मेरी बातचीत हुयी थी और आपने कहा था कि 2 विधेयक आज लिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप किसी प्रश्न को तत्वतः उठायें तो ठीक होगा।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, सदन के सामने हुई कार्यवाही तो आपके सामने है, पहले उसको आप देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री हरिनाथ जी तिवारी मुझे मिले थे और उनसे मैंने कहा था कि 3 विधेयक आज ले लिये जायेंगे और बाकी दो अगले दिन के लिये स्थगित कर दिये जायेंगे यह मुझे स्मरण आ रहा है ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, आज दो ही रहने दीजिये। अभी तो 3 दिन हमारे पास बाकी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार का कहना था कि पांचों ही आज ले लिये जायं लेकिन आपकी बात सुनकर मैंने कहा था कि 3 आज ले लिये जायें और 2 छोड़ दिये जायं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

2 आज ले लिये हैं, 3 आगे के लिये छोड़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आज आप कह रहे हैं । वहां तो आपके प्रतिनिधि से दूसरी बात हुयी थी । माननीय अध्यक्ष ने क्या कहा है वह पूछ कर सचिव अभी आ रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आप कार्यवाही देख लें हम वही मान जायेंगे, मुमकिन है कि हम भूल गये हों.....

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यवाही देख लेते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि अब चूंकि दूसरा विधेयक नगर महापालिका वाला ले लिया गया है इसलिये उसका पारण हो जाने दीजिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

केवल 3 विधेयक ही बचे हैं, जो कार्य है उसे 2 दिन के लिये बांट दिया जाय । यह सार्वजनिक भूगृहादि का इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और बड़ा है उसको आज न लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस के आगे का मुस्लिम वक्फ वाला साधारण छोटा सा बिल है उसको ले लें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके आने के पहले यहां अध्यक्ष जी के सामने यह तर्क रखा गया था कि जो बिल ले लिया गया है उसके आगे और बिल नहीं लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी का विधेयक 7 तारीख को ले लेंगे और यह जो वक्फ वाला है छोटा सा इसको आज ले लें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो रूलिंग अध्यक्ष जी की हो चुकी है उसको कार्यवाही से देख लें और अगर ऐसी रूलिंग हुई है तो उसका आदर करना चाहिये अगर नहीं हुई है तो वक्फ वाला आप ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब अध्यक्ष जी ने अब स्वयं कहला दिया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है या यह भूल भी गये तो उसका कुछ असर आप पर पड़ना चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपको इतनी देर तक बैठने के लिये राजी नहीं होना चाहिये नतीजा हमने निकाल लिया कि कार्यवाही में लिखा कुछ और है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी टाइप होने गया है, वह यहां नहीं है जो उन्होंने कहला दिया है उसी को लेकर हम चल रहे हैं ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि थोड़ी देर पहले सदन में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि 2 बजे नगरपालिका वाला विधेयक चल रहा है उसको चलने दें और नहीं लिया जायगा । सबको सुनने के और समझने के बाद उन्होंने व्यवस्था दी और क्या आपको उनकी व्यवस्था को रद्द करने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिकार नहीं है लेकिन यह कार्यसूची में है और उसका यही रास्ता है कि आपको भी संतोष हो और कार्य भी चले, आप सब राजी हों तो यह राजस्व मंत्री वाला रहने दिया जाय और

वक्फ वाला आज ले लिया जाय । अध्यक्ष जी ने तो कहला ही दिया है कि हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

वैसे तो आज 3 विधेयक पारित होने को थे । अगर आज माननीय सदस्य भूगृहादि विधेयक को आज नहीं चाहते तो न लें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन कृपा करके इसको 3 तारीख को न लेकर 7 को ले लें क्योंकि 3 को मैं यहां नहीं हूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो हो जायगा मैं अपना निर्णय लाद नहीं रहा हूं आप सबकी इच्छा न हो तो....

एक सदस्य—

आज तो चुनाव का दिन है, कुछ नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कहना ठीक नहीं है, आप सबके नेताओं की सहमति से ही यह हुआ था, अभी श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था । अध्यक्ष जी ने कहा है कि उन्होंने कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। कार्य-मन्त्रणा समिति में यह विचार जरूर हुआ था कि पहली तारीख को बहुत हलका-फुलका काम होना चाहिये और शायद शब्द '2' भी आया था । अगर आप उसको याद दिलाना चाहते हैं तो मैं सोच सकता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरे विचार में मुस्लिम वक्फ वाला विधेयक आज से लिया जाय और उसे पास कर दिया जाय और 3 तारीख को छुट्टी कर दी जाय ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, विधायी कार्य के लिये 3 दिन हमारे पास थे । यदि इस काम को बराबर बांटा जाता तो भी एक दिन में 2 विधेयक से कम आते हैं । अभी तक 2 ही गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप वह बाद में कह रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, बार-बार यह प्रश्न क्यों उठता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक कार्य-मन्त्रणा समिति का सम्बन्ध है और मुझे जहां तक स्मरण है, यह मेरे कान में आया था कि 2 विधेयक रख दिये जायं । एक तरफ आप कहते हैं कि अगर लेना चाहते ह तो मुस्लिम वक्फ वाला विधेयक ले लीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, हमारा निवेदन यह है कि इसको आप ले लें और 3 की छुट्टी कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो आपत्ति की है हम तीसरा विधेयक नहीं लेंगे । इसलिये अब आप सबकी इच्छाओं को देखते हुए, मैं समझता हूं कि 3 और 7 अप्रैल को शेष विधायी कार्य ले लिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, कार्य-मन्त्रणा समिति में आप रहते हैं और माननीय अध्यक्ष जी भी रहते हैं। विधेयकों के बारे में सरकार इतना बतलाती है कि अमुक विधेयक केवल 5 या 10 लाइन का, छोटा सा विधेयक है और उनके कहने से विरोध पक्ष के लोग चर्के में आ जाते हैं। श्रीमन्, मैं भी स्वयं चर्के में आ चुका हूं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब दूसरी कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक हो, और उसमें विधेयकों के बारे में विचार हो तो उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया जाय ताकि हम देख सकें कि वह 5 का या 10 सेन्टेन्स का विधेयक है। इसलिये आप इसकी ओर विशेष ध्यान दें? कार्य-मन्त्रणा समिति में हमारे व्हिप्स पहुंच भी नहीं पाते हैं। कल छुट्टी थी और आज भी छुट्टी थी लेकिन हमने सोचा कि सरकार के कार्य में नुकसान न हो और रुकावट न आये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप किसी के चर्के में न पड़ें, यह संरक्षण पूरा-पूरा दिया जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरी भी प्रार्थना है कि मुस्लिम वक्फ वाले विधेयक को आज ले लिया जाय और 3 तारीख को छुट्टी कर दी जाय। इसमें आप को क्या आपत्ति है?

श्री उपाध्यक्ष—

तीन तारीख को लाना तय हुआ। कार्य-मन्त्रणा समिति में हमको सामन्जस्य लाना है। मैंने आपकी भावनाओं को देखते हुए यह सामन्जस्य किया। आज 2 विधेयक पास हो गये हैं। शेष 3 और 7 अप्रैल को रख दिये जायं।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

श्रीमन्, चूंकि 3 अप्रैल को राजस्व मन्त्री जी नहीं रहेंगे और 3 के लिये सदन के सामने कोई बिजनेस नहीं है, इसलिये मुस्लिम वक्फ वाले विधेयक को आज ही ले लिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बतला दें कि हम तीन तारीख को कौन सी तैयारी करके आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

छपा है, वह आप को मिलेगा। नं0 16 है। आज इस सूची में अवशिष्ट कार्य है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

तीन तारीख को कोई बिजनेस नहीं है। तो आज माननीय सदस्य वक्फ वाला विधेयक पेश कर लें। तीन तारीख को ताकि छुट्टी हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक के निर्णय में दिया हुआ है कि पहली, तीन और सात को विधायी कृत्य लिये जायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

तीन तारीख को कौन सा विधेयक हमारे सामने आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तीन तारीख के लिये अभी इसमें अवशिष्ट हैं। उसके अलावा दो और हैं। अब सरकार यह कहती है कि दो विधेयक लिये जायं। वह काम तो है ही तीन तारीख के लिये।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह ठीक है कि आज जो मुस्लिम वक्फ वाला विधेयक ले लिया गया तब दो विधेयक बच जायेंगे जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत हैं। वे सात को ले लिये जायं। माननीय मन्त्री जी उस तारीख को नहीं रहेंगे। कार्य-मन्त्रण समिति का निर्णय सदन से अप्रूव हो चुका है। सदन सक्षम है। तीन की छुट्टी को स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप चाहते थे और जो उचित था वह मैंने स्वीकार कर लिया है। दो विधेयक अवशिष्ट हैं तो वे दोनों लिये जायं। उचित यह होता कि सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष एक सर्वसम्मत राय रख देता। कार्य-मन्त्रणा समिति बताती कि एक रास्ता निकाल लें तो बात दीगर है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

अब नियम 51 के अन्तर्गत मेरे पास कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो स्वीकार नहीं की गई हैं।

माननीय सदस्य सुरेन्द्र विक्रम ने सूचना प्रदान की है कि लखनऊ के होटलों में उन पक्षियों का मांस पकाया जाता है जिनको मारना शासन ने बन्द कर दिया है। इसको कार्यवाही के लिए शासन के पास भेज देंगे। दूसरी सूचना माननीय त्रिवेणी सहाय द्वारा दी गई है कि अलीगढ़ के श्री कन्हैया लाल सिंह की पुत्री को उनके दामाद द्वारा घर में बन्द करके आग लगाने का कृत्य किया गया है। इस पर माननीय सदस्य कृपया प्रश्न करें। यह स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त तीसरा प्रश्न श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा किया गया है कि बलिया जनपद के बाढ़ नियन्त्रण विभाग में उन लोगों को न रखना जिनका विधिवत् तीन मार्च को चुनाव हुआ था। इस को भी नहीं स्वीकार किया गया है। माननीय सदस्य इस पर प्रश्न कर लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन मार्च को सबका इन्टरव्यू हुआ और बाद में कहा गया कि आप लोगों की जरूरत नहीं है। अन्य 45 आदमियों को रख लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। उसको स्वीकार कर लेंगे।

(कुछ रुककर)

अब हम परसों तीन तारीख को 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 3 बज कर 25 मिनट पर सोमवार 3 अप्रैल, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
1 अप्रैल, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 690 पर)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1972

तेंदू पत्तों का, लोक-हित में, क्रय तथा वितरण करने में राज्य एकाधिकार स्थापित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) किसी इकाई के सम्बन्ध में 'अभिकर्ता' का तात्पर्य उस इकाई के सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन नियुक्त अभिकर्ता से है;

(ख) 'इकाई' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित इकाई से है;

(ग) 'खातेदार' का तात्पर्य किसी भूमिधर, सीरदार, आसामी, सरकारी पट्टेदार या अन्य सरकारी अनुदान-ग्रहीता से है;

(घ) 'तेंदू पत्ता उत्पादक' का तात्पर्य, ऐसी भूमि पर उगाये गये तेंदू पत्तों के सम्बन्ध में जो तत्समय—

ऐक्ट संख्या 16, 1927

(1) राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो अथवा इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित हो, राज्य सरकार से है;

(2) किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो, ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से है;

(3) किसी खातेदार द्वारा धृत हो, ऐसे खातेदार से है;

(4) राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त गांव सभा, स्थानीय प्राधिकरण या खातेदार की ओर से किसी भोग-बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार द्वारा धृत हो, यथा स्थिति, ऐसे भोग बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार से है;

(5) विधि द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी रिसीवर की अभिरक्षा में हो, ऐसे रिसीवर से है;

(6) किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा धृत हो, ऐसे व्यक्ति से है;

(ङ) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में 'नियत दिनांक' का तात्पर्य उस दिनांक से है जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो;

(च) 'वर्ष' का तात्पर्य पहिली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले तथा अगली तीस जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है ;

(छ) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ज) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उन्हें दिये गये हों। ऐक्ट संख्या 16, 1927

3—राज्य सरकार किसी क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकती है जितनी वह उचित समझे। इकाइयों का संघटन

4—(1) राज्य सरकार, अपनी ओर से तेंदू पत्तों का क्रय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ, विभिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकती है, और कोई भी ऐसा अभिकर्त्ता एक से अधिक इकाई के सम्बन्ध में नियुक्त किया जा सकता है। अभिकर्ताओं की नियुक्ति

(2) ऐसे नियुक्ति की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और तत्सम्बन्धी प्रक्रिया वह होंगी जो विहित की जायं।

5—नियत दिनांक को तथा उसके पश्चात्—

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उस इकाई, जिसमें पत्ते उगे हों, से सम्बन्धित किसी अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति को तेंदू के पत्तों का विक्रय नहीं करेगा ; तेंदू पत्तों के विक्रय, क्रय तथा परिवहन पर निर्बन्धन

(ख) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति से तेंदू पत्तों का क्रय नहीं करेगा, और न किसी ऐसी भूमि, जिसका वह स्वामी या खातेदार न हों, पर उगाये गये तेंदू पत्तों का संग्रह करेगा ;

(ग) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति तेंदू पत्तों का परिवहन निम्नलिखित दशाओं के सिवाय नहीं करेगा, अर्थात् :—

(1) यदि वह, तेंदू पत्ता उत्पादक होने की दशा में, इकाई के भीतर, जहां ऐसे पत्ते उगे हों, किसी स्थान से पत्तों का परिवहन उसी इकाई में किसी अन्य स्थान के लिये करे; अथवा

(2) यदि वह पत्तों का परिवहन उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता की ओर से करे; अथवा

(3) यदि उसने उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्त्ता से पत्तों का क्रय या तो उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ियां बनाने के लिए अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर पत्तों का विक्रय करने के लिये किया हो, और वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाय, तदर्थ जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार उक्त इकाई के बाहर उनका परिवहन करें।

परामर्श समिति का संघटन

6—(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे एक आयुक्त के डिवीजन के लिये, जहां तेंदू पत्त उगते हों, एक परामर्श समिति प्रत्येक वर्ष के लिये संघटित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों में एक-तिहाई से अनधिक सदस्य तेंदू पत्ता उत्पादकों में से होंगे।

(2) प्रत्येक डिवीजन की परामर्श समिति, राज्य सरकार को, समय-समय पर उस डिवीजन में विक्रय के लिये प्रस्तुत तेंदू पत्तों के राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में, तथा ऐसे अन्य विषयों पर भी जो राज्य सरकार द्वारा उसे अभिदिष्ट किये जायें, परामर्श देगी ।

(3) समिति की कार्यवाही का संचालन ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय ।

राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण

7—(1) राज्य सरकार अन्य तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऐसा मूल्य निर्धारित करेगी, जिस पर वर्ष के दौरान डिवीजन की प्रत्येक इकाई में उसके द्वारा या उसके लिए या तेंदू पत्ता उत्पादकों से तेंदू पत्तों का क्रय किया जायगा, अर्थात:—

(क) किसी इकाई के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में इस अधिनियम के अधीन तेंदू पत्तों का निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो;

(ख) इकाई में उगाये गये पत्तों की किस्म;

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें;

(घ) परिवहन व्यय; तथा

(ङ) अनिपुण श्रमिक के लिये मजदूरी का इकाई में प्रचलित सामान्य दर।

(2) इस प्रकार निर्धारित मूल्य ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, प्रकाशित किया जायगा और उस वर्ष के दौरान जिसके सम्बन्ध में वह हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन मूल्य निर्धारित किये जाने के पूर्व, धारा 6 के अधीन परामर्श समिति संघटित हो गयी हो तो राज्य सरकार ऐसा मूल्य निर्धारण करने से पूर्व परामर्श समिति से, जहां व्यवहार्य हो, परामर्श करेगी।

राज्य सरकार विक्रय हेतु प्रस्तुत समस्त तेंदू पत्तों का क्रय करेगी

8—(1) राज्य सरकार समस्त तेंदू पत्ते, जो उसे या उसके लिये विक्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा तदर्थ स्थापित किसी डिपो पर सामान्य कार्य समय में प्रस्तुत किये जायं, धारा 7 के अधीन निर्धारित मूल्य पर क्रय करने के लिये बाध्य होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी या अभिकर्ता जैसी भी दशा हो, को ऐसे तेंदू पत्तों को क्रय करने से इंकार करने का अधिकार होगा जो उसकी राय में बीड़ी बनाने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त न हों।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसके पत्तों को अस्वीकार करने के कारण क्षुब्ध हो, उससे पन्द्रह दिन के भीतर और विहित रीति से प्रभागीय वन अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाय, परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर, सम्बद्ध अधिकारी उसकी सरसरी रूप से जांच करेगा और ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे, और उस दशा में जब उसे पत्तों को लेने से इन्कार करना अनुचित प्रतीत हो, तो वह—

(क) यदि उसे प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये उस समय तक उपयुक्त प्रतीत हों, तो, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उन्हें क्रय करने का निदेश देगा, और क्षुब्ध व्यक्ति के हक में ऐसा प्रतिकर दिये जाने का निदेश देगा जो पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे वह उचित समझे; अथवा

(ख) यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये अब अनुपयुक्त हो चुके हैं, तो यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को क्षुब्ध व्यक्ति के हक में कोई ऐसी धनराशि का, जो उपधारा (1) के अधीन ऐसे पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बराबर हो, और ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर जिसे वह ऐसे व्यक्ति को हुई हानि के लिये क्षति स्वरूप देना उचित समझे, और जो ऐसे मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, देने का निदेश देगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रयार्थ प्रस्तुत कोई तेंदू पत्ते, राज्य सरकार में निहित और उसके द्वारा धृत भूमि पर या आरक्षित बन या संरक्षित वन के रूप में संघटित भूमि पर उगाये गयें हैं, तो ऐसे पत्ते, किसी मूल्य का भुगतान किये बिना और केवल ऐसे संग्रहण-व्यय का भुगतान करके, यदि कोई हो, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, हस्तगत किये जा सकते हैं।

(5) उपधारा (4) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(6) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

उत्पादकों इत्यादि का रजिस्ट्रीकरण

9—(1) राज्य सरकार या किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न प्रत्येक तेंदू पत्ता उत्पादक, यदि किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों की मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक हो जाने की संभावना हो, जो विहित की जाय, विहित रीति से अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

बीड़ियों के निर्माता तथा तेंदू पत्तों के निर्यातकर्ता का रजिस्ट्रीकरण

(2) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता तथा तेंदू पत्ते का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस का भुगतान करके और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

तेंदू पत्तों का निस्तारण

10—(1) राज्य सरकार या उसके लिये क्रय किये गये तेंदू पत्तों का विक्रय या उनका अन्य प्रकार से निस्तारण ऐसी रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे।

(2) ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार या कोई गांव सभा अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, और यदि किसी ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न तेंदू पत्तों जिनके किसी एक भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार उत्पादक हो और दूसरे भाग के सम्बन्ध में गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, को सरकार बेंचती हो अथवा बिकवाती हो तो ऐसी बिक्री की शुद्ध आय का राज्य सरकार और ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच प्रभाजन राज्य सरकार द्वारा तदर्थ जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।

शक्तियों का प्रतिधान

11—राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य ऐसे किसी अधिकारी को, जिसका पद सहायक अरण्यपाल के पद से कम न हो, प्रतिनिहित कर सकती है, जो उसका प्रयोग या सम्पादन, ऐसी शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में निर्दिष्ट करे, रहते हुए करेगा ।

प्रवेश करने, तलाशी लेने, अभिग्रहण करने आदि के अधिकार

12—(1) कोई पुलिस अधिकारी, जिसका पद उप-निरीक्षक के पद से कम न हो, या कोई भी वन अधिकारी इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है—

(1) किसी ऐसे व्यक्ति, नौका, गाड़ी या पात्र को जिसे तेंदू पत्तों का परिवहन करने में प्रयुक्त किया गया हो या जो प्रयोग करने के लिये अभिप्रेत हो, रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(2) किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(3) ऐसे तेंदू पत्तों को जिनके सम्बन्ध में उसे सन्देह हो कि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित, जिसमें ऐसे पत्ते हों, या ऐसी गाड़ी या नौकाओं के साथ जो पत्तों को लाने में प्रयुक्त की गयी हों, अभिगृहीत कर सकता है ।

1898 का अधिनियम 5

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथासंभव, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

शास्ति

13—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने वन अपराध किया है, और तेंदू पत्ता, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में उक्त अपराध किया गया है, ऐसा अपराध किये जाने के सम्बन्ध में, वन उपज समझी जायगी, और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अध्याय 9 के उपबन्ध, (धारा 69 को छोड़ कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कारों के साथ लागू होंगे ।

कम्पनी द्वारा अपराध

14—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्यसंचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक उपाय किये ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनजर या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना मैनेजिंग एजेंट, सेक्रटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनजर या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अपराधों का संज्ञान

15—किसी ऐसे वन अधिकारी द्वारा जिसका पद प्रभागी वन अधिकारी के पद से कम न हो अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत करे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दिये गये लिखित प्रतिवेदन के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अधिनियम के उपबन्धों का अभिभावी प्रभाव होगा

16—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि अथवा किसी संविदा या अन्य संलेख में दी गयी उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

सद्भावना से किये गय कार्य के संबंध में बचाव

17—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिये अभिप्रेत हो, किसी ऐसी हानि के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो अथवा किसी ऐसी क्षति के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

18—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्—

(क) अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) तेंदू पत्तों की मूल्य-सूची का प्रकाशन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति ;

(घ) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार तथा शर्तें जिन पर तेंदू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं;

(ङ०) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा तथा उसकी उपधारा (2) के अधीन देय फीस;

(च) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने के लिये मार्ग दर्शक सिद्धांत;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाय।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त,जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखा जायगा और यदि उक्त अवधि में दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हों या दोनों सदन इस बात से सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल, यथास्थिति, ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा वह प्रभावी नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

19—यदि 1 जुलाई, 1971 और 24 फरवरी, 1972 के बीच किसी समय तेंदू पत्तों के किसी उत्पादक ने किसी व्यापारी के साथ ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री के लिये, जो उसके द्वारा वर्ष 1972 में उगाये जाने हों, कोई संविदा की हो और ऐसे संविदा के अन्तर्गत व्यापारी से ऐसे पत्तों के, जो व्यापारी को दिये जाने हों, मूल्य की ओर कोई अग्रिम धनराशि ले ली हो तो, इस बात क होते हुए भी कि ऐसी संविदा धारा 5 और 16 के उपबन्धों के कारण नियत दिनांक को शून्य हो गयी हो, उक्त उत्पादक और व्यापारी ऐसी अग्रिम धनराशि का व्योरा देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष संयुक्त आवेदन-पत्र दे सकते हैं और तदोपरान्त उक्त अधिकारी यथाविधि यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन-पत्र उत्पादक द्वारा स्वेच्छा से दिया गया है, धारा 8 में अभिदिष्ट अधिकारी या अभिकर्ता को उत्पादक की ओर से व्यापारी को, धारा 8 के अधीन विक्रीत पत्तों के लिये उत्पादक को देय मूल्य में से, ऐसी धनराशि जो बिना किसी व्याज या प्रतिकर के कुल अदत्त अग्रिम धनराशि से अधिक न होगी, देने का निदेश दे सकता है, और राज्य सरकार या अभिकर्ता उत्पादक के प्रति और उत्पादक

व्यापारी के प्रति, ऐसे भुगतान की सीमा तक दायित्व से उन्मुक्त हो जायेंगे, और उत्पादक ऐसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में किसी ब्याज या प्रतिकर का देनदार न होगा।

निरसन

20—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार-विनियमन) अध्यादेश, 1972 एतद्-द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 1, 1972

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

तेंदू पत्तियों को नीलाम द्वारा बेचने की जो प्रणाली थी उसके अन्तर्गत राज्य सरकार को पूर्ण राजस्व प्राप्त नहीं होता था। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं तथा निजी उत्पादकों को उनकी भूमि पर उगने वाली तेंदू पत्तियों का उचित मूल्य ठेकेदारों द्वारा नहीं मिल पाता था। अतः यह निश्चय किया गया है कि तेंदू पत्तियों के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया जाय।

2—तेंदू की पत्तियों को एकत्रित करने का कार्य ग्रीष्म ऋतु में ही होता है और शासन द्वारा वर्ष 1972–73 में तेंदू के व्यापार को अपने हाथ में ले लेना आवश्यक था, जिससे कि उपर्युक्त लोक हित की पूर्ति अविलम्ब हो सके एवं शासन को भी लगभग 40 लाख रुपये की अतिरिक्त आय से वंचित न होना पड़े। चूंकि आवश्यक प्रबन्ध करने का समय आ गया था तथा राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतः उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1972, दिनांक 24 फरवरी, 1972 को प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश को 2 मार्च, 1972 से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन तथा वाराणसी जिलों में लागू किया गया क्योंकि तेंदू की पत्तियां मुख्यतः इन्हीं जिलों में पाई जाती हैं। यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 25 एल० ए०—1972—845।